रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 1992/वैशाख 23, 1914
No. 212] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 1992/VAISAKHA 23, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

(जल भूतल परिवहन मंत्रालय)

(परिवहन पक्ष

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

सा.का.नि. 491 (अ) :—निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केन्द्रीय सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 12, धारा 27, धारा 64, धारा 86 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 45 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 1992

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. पते और आयु के सही होने का साक्ष्य :—

इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक दस्तावेज मूल रूप में या उसका सुसंगत उद्धरण जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या किसी स्थानीय निकाय के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी की समतुल्य पंक्ति का हो या ग्राम प्रशासन अधिकारी या नगर निगम पार्षद या पंचायत अध्यक्ष

द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हो, अपने पते और आयु के साक्ष्य के रूप में पेश करेगा, अर्थात् :—

1. राशन कार्ड,
2. निर्वाचक नामावली,
3. जीवन बीमा पालिसी,
4. पासपोर्ट,
5. विद्युत या टेलीफोन बिल
6. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची,
7. गृह-कर की रसीद,
8. स्कूल प्रमाण-पत्र,
9. जन्म प्रमाणपत्र,
10. आवेदक की आयु के संबंध में सिविल सर्जन से अनिम्न पंक्ति के किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अनुदत्त प्रमाणपत्र :

परन्तु जहां आवेदक ऊपर उल्लिखित किसी दस्तावेज को पेश नहीं कर पाता है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी आयु और पहचान के साक्ष्य के रूप में आवेदक द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष ग्रहण किए गए किसी शपथपत्र को स्वीकार कर सकेगा।"

3. मुख्य नियमावली के नियम 9 में उप नियम (1) के लिये निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) इस नियम के लागू होने की तारीख को कोई भी व्यक्ति जो मानव जीवन के लिये खतरनाक और जोखिमपूर्ण माल से लदी मालगाड़ी चला रहा हो, परिवहन वाहन को चलाने का लाइसेंस धारक होने के अतिरिक्त, एक अनुसूचित भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी पढ़ने व लिखने के योग्य हो तथा उसके पास ऐसे माल का परिवहन करने संबंधित निम्नलिखित पाठ्यचर्या और अवधि पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पास करने का प्रमाणपत्र भी हो।

प्रशिक्षण की अवधि	—3 दिन
प्रशिक्षण का स्थान	—राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में।
पाठ्यचर्या	
(क) रक्षात्मक वाहन चालन प्रश्नावली	क तथा ख के लिये प्रशिक्षण की अवधि पहला तथा दूसरा दिन।
दुर्घटनाओं के कारण	
दुर्घटना संबंधी आंकड़े	
चालक का व्यक्तिगत स्वस्थता प्रमाणपत्र	
कार की स्थिति	
ब्रेक लगाने की दूरियां (ब्रेकिंग डिस्टेंस)	
राजमार्ग पर गाड़ी चलाना	
सड़क/पैदल पथ चौराहा	
रेलवे क्रासिंग	
मौसम के अनुसार अनुकूलता	
अग्रभाग का टकराव	
पृष्ठभाग का टकराव	
रात्रि के समय गाड़ी चलाना	
फिल्में और विचार-विमर्श	
(ख) गाड़ी चलाने की उन्नत कुशलता और फील्ड टैस्ट और प्रशिक्षण :—	
चालू करने से पहले	—जांच सूची —वाहन का बाह्य /नीचे/पीछे का हिस्सा —प्रोडैक्ट साइड —वाहन के अन्तर
वाहन चलाते समय	—उचित गति/गियर —संकेत देना —लेन नियंत्रण —ओवरटेक करना/साइड देना —गति सीमा/सुरक्षित दूरी/ढलानों पर चढ़ाई चलाना।
रोकने से पहले	—रोकने का सुरक्षित स्थान, संकेत देना, सड़क की चौड़ाई, स्थिति
रोकने के बाद	—वाहन संचलन को रोकना —व्हील क्लाक्स —व्हीकल अटेंन्डस
रात्रि के समय वाहन चलाना :—	
(2) फील्ड टैस्ट/प्रशिक्षण	—एक समय एक चालक
ग. उत्पाद सुरक्षा	
यू एन पैनल	—यू एन वर्गीकरणी ग के लिये —हैजचेक कोड प्रशिक्षण की —विषाक्तता ज्वलनशीलता और अन्य अवधि-तीसरा परिभाषाएं दिन
प्रोडक्ट सूचना	—टी ई आर एम कार्ड —सी आई एस/एम एस डी एस —तापमान का महत्व, दाब का स्तर —विस्फोट सीमा —उपकरणों का ज्ञान
आपातकाल प्रक्रिया	—संचार —लिकेज हैंडलिंग —पी पी ई का प्रयोग —प्राथमिक सहायता —चिक्सिक रिलीज नियंत्रण —कुओं, नदियों, झीलों से बचाव —बचाव उपकरण का प्रयोग —वाल्व आदि के बारे में ज्ञान।

4. मूल नियमों के नियम 31 में, उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(5) इस नियम की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जब कोई आवेदक जिसके पास मोटर साइकिल या तिपहिया अपरिवहन यान या मोटरकार चलाने के लिए चालक अनुज्ञप्ति है, संबंधित किस्म की मोटर कैब चलाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाने के लिए आवेदन करता है या जब कोई ऐसा आवेदक जिसके पास ट्रैक्टर चलाने के लिए चालक अनुज्ञप्ति है, ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन चलाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाने के लिए आवेदन करता है।"

5. मूल नियम नियम 47 के उपनियम (1) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ट्रेलर या अर्द्ध ट्रेलर की दशा में राज्य परिवहन प्राधिकरण या परिवहन आयुक्त या ऐसे अन्य प्राधिकारियों की जो राज्य

सरकार द्वारा डिजाइन का अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं, कार्यवाहियों की प्रति;" ।

6. मूल नियम के नियम 48 में ("प्रमाणपत्र देगा।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्रमाणपत्र देगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी परिवहन यान से संबंधित हो वहां इसे केवल प्ररूप 38 में योग्यता प्रमाणपत्र लेखबद्ध करने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत स्वामी को सुपुर्द किया जाएगा।" ।

7. मूल नियम के नियम 50 में,—

(1) शीर्षक और "(1) धारा 4 की उप धारा (6) में विनिर्दिष्ट" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "1.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"50 मोटर यानों में रजिस्ट्रीकरण चिह्नों का आकार और उनके प्रदर्शन की रीति।

(1) धारा 41 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिह्नों को सभी मोटर यानों पर किसी समतल प्लेट पर या यान पर ऐसी जगह जिसका उर्ध्वाधर झुकाव 30° से अधिक न हो, आगे और पीछे दोनों और सीधी सामने और पीछे की ओर निम्नलिखित रीति में स्पष्ट और सुपाठ्य रूप से अपवर्ती रंग में प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) मोटर साइकिल की दशा में रजिस्ट्रीकरण चिह्न सामने की ओर यान की धुरी की रेखा में प्लेट के बजाय हैंडल बार के सामानान्तर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (2) के परन्तुक के उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) रजिस्ट्रीकरण चिह्न दो पंक्तियों में प्रदर्शित किया जाएगा। पहली पंक्ति में राज्य संहिता और दूसरी पंक्ति में पुन: रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण संहिता एक दूसरे के नीचे होंगे :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण चिह्न सामने एक पंक्ति में प्रदर्शित किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसे यानों के माडलों में दो पंक्तियों में रजिस्ट्रीकरण चिह्न करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है उनके लिए यह पर्याप्त होगा कि ऐसे यान में रजिस्ट्रीकरण चिह्न एक पंक्ति में ही प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय मोटर यान संशोधन नियम, 1992 के प्रारम्भ की तारीख से ही विनिर्मित प्रत्येक यान में रजिस्ट्रीकरण चिह्न को दो पंक्तियों में प्रदर्शित करने के लिए पार्श्व में पर्याप्त स्थान दिया जाएगा।"।

8. मूल नियम के नियम 51 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"51 रजिस्ट्रीकरण चिह्न में अक्षरों और अंकों का आकार

रजिस्ट्रीकरण चिह्न के अक्षरों और अंकों की विमा तथा विभिन्न अक्षरों और अंकों के बीच का स्थान तथा समतल सतह के अक्षर और चिह्नक निम्न प्रकार से होगा :—

(मिलि. मीटर में)

क्रम सं.	यान का वर्ग	निम्नलिखित से अन्यून विमाएं		
		ऊंचाई	मोटाई	बीच का स्थान
1.	सभी मोटर साइकिलें और तिपहिया अशक्त यात्री गाड़ी	पिछे के अक्षर 35 और अंक	7	5
2.	सभी मोटर साइकिलें और तिपहिया अशक्त यात्री गाड़ी	पीछे संख्यांक 40	7	5
3.	70 सी. सी. से अन्यून की क्षमता का इंजन की मोटर साइकिलें	सामने अक्षर 15 अंक और संख्या	2.5	2.5
4.	अन्य मोटर साइकिलें	सामने अक्षर 30 अंक और संख्या	5	5
5.	500 सी. सी. से अधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहिया	पीछे और 35 सामने की संख्या	7	5
6.	500 सी. सी. अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहिया	पीछे और सामने 40 की संख्या	7	5
	सभी अन्य यान	पीछे और आगे 65 की ओर के अक्षर, अंक और संख्या	15	10

9. मूल नियम के नियम 53 के उपनियम (i) में "और इस तथ्य की लिखत सूचना रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकरण को देगा जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया था" शब्दों का लोप किया जाएगा।

10. मूल नियम 63 के उपनियम (3) के खंड (ख) में "स्वच्छता खंड के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो जिससे परीक्षण, उपस्कर और अन्य सामग्री वहां लगाए जा सकें" शब्दों के स्थान पर "स्वच्छता खंड तथा परीक्षण उपस्कर और अन्य सामग्रियों को लगाने के लिए स्थान" शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल नियम के नियम 82 के उपनियम (2) के खंड के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) पर्यटक परमिट उस तारीख से जिसको परमिट के अन्तर्गत आने वाले यान किसी मोटर कैब की दशा में 9 वर्ष पूरे कर लेता है और यदि यान मोटर कैब से भिन्न है 8 वर्ष पूरे कर लेता है अन्यथा उसके स्थान पर दूसरा यान ले लिया जाता है।"।

12. मूल नियम के नियम 83 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) प्राधिकारी जो प्राधिकार देता है यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या परमिट धारक का नाम और पता और उस अवधि की सूचना जिसके लिए प्राधिकार विधिमान्य है संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारियों को देगा।

परन्तु जहां परमिट धारक कर संदाय का संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारियों को उनकी अधिकारिता में

प्रवेश के समय प्राधिकार में यह स्पष्ट रूप से कथन होगा कि यह संबंधित राज्य को करों के संदाय के अधीन रहते हुए जारी किया गया है।

13. मूल नियम के नियम 85 में --

(1) उप नियम (1) "जो उस क्षेत्र के जिसमें पर्यटन प्रारम्भ होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस उप निरीक्षक या राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रादेशिक प्राधिकरण के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(2) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) उपनियम में एक निर्दिष्ट सूची की एक प्रति पर्यटक मान में रखा जाएगी और प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिनियम या उसके अधीन दस्तावेजों के पेश करने की मांग पर पेश की जाएगी और दूसरी प्रति परमिट धारक द्वारा रख ली जाएगी।

(3) उपनियम (3) में "दो मास" शब्दों के स्थान पर "तीन मास" शब्द रखे जाएंगे।

14. मूल नियम के नियम 85अ के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह उपनियम 'ब्रेक किराए पर स्कीम, 1989' के अन्तर्गत आने वाली मोटर केन्द्रों को लागू नहीं होगा।"।

15. उक्त नियमों के नियम 88 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

88. राष्ट्रीय परमिट के प्रयोजन के लिए मोटर वाहन की आयु.

(1) बहुधुरीय वाहन को छोड़कर ऐसे किसी माल वाहन के लि राष्ट्रीय परमिट नहीं दिया जाएगा जिसकी आयु 12 वर्ष से अधिक है।

(2) ऐसे किसी भी बहुधुरीय माल वाहन के लिए राष्ट्रीय परमिट दिया जाएगा जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक है।

(3) बहु धुरीय वाहनों के मामले में 15 वर्ष तथा वाहनों को छोड़कर अन्य माल वाहनों के मामले में 9 अवधि पूरी होने की तारीख से राष्ट्रीय परमिट अवैध माना जाएगा जब तक कि ऐसे वाहन को बदला न जाए।

स्पष्टीकरण : इस नियम के इस प्रयोजन के लिए 9 वर्ष अथवा 15 वर्ष जो भी मामला हो, की अवधि की गणना परमिट प्राप्त वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण अथवा आटीकुलेटेड वाहन के संबंध में प्राइम मूवर की तारीख से की जाएगी।

16. मूल नियम के नियम 90 के उपनियम (4) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह उपनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से केवल हल्के मोटर यानों और मध्यम मालयानों को लागू होगा।"।

17. मूल नियम के नियम 92 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु इस नियम की कोई बात, केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन नियम, 1992 के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिर्मित यानों को लागू नहीं होगी।"।

18. मूल नियम के नियम 93 में, उपनियम (7) को उपनियम (8) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और उपनियम (6) में,--

(1) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण-2 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण के पूर्व प्रारंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रारंभिक भाग और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(6) किसी ट्रैक्टर से भिन्न मोटरयान का प्रलंब हील बेस के 60% से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1--इस नियम के प्रयोजन के लिए "हील बेस" से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

(क) केवल दो धुरियों वाले यानों की दशा में यान के अनुदैर्ध्य धुरी के क्षैतिज और समांतर मापी गई सामने की धुरी और पार्श्व धुरी के केन्द्र बिंदु के बीच की दूरी है।

(ख) केवल तीन धुरियों वाले किसी यान की दशा में और जिसमें स्टीयर धुरी सामने की धुरी है, सामने की धुरी के केन्द्र और दो पार्श्व धुरियों के बीच की केन्द्र बिंदु के बीच के किसी यान की अनुदैर्ध्य क्षैतिज और समानांतर मापी गई दूरी।

(2) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित स्पष्टीकरण II में,--

(1) पैरा --अ में मद (7) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(8) किसी ट्रैक्टर के तीन बिंदु संबंधन वाले कोई एक दूसरे पर चढ़े हुए संयंत्र।"

(2) पैरा--अ की मद (ii) में "पिछली और बीच वाली धुरी के केन्द्र बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा के-केन्द्र से 102 मिलीमीटर पीछे कोई बिंदु" शब्दों के स्थान पर "सबसे पीछे वाली धुरी के केन्द्र बिंदु" शब्द रखे जाएंगे।

(3) मद (7) के पैरा अ को उपनियम 7 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

19. मूल नियमों के नियम 95 में,--

(1) "इस प्रकार विनिर्दिष्ट यानों" शब्दों के स्थान पर "इस प्रकार विनिर्दिष्ट टायर" शब्द रखे जाएंगे।

(2) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

सारणी

आधार	विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट चलाने की दर	ले जाने के लिए अधिकृत अनुज्ञात भार (कि. ग्रा.) एकल	दोहरे
(1)	(2)	(3)	(4)
4.50×12 यू एल टी	6	335	340
4.50×12 यू एल टी	8	415	395
6.00×16	6	710	620
6.00×16	8	835	730
6.50×16	6	795	705
6.50×16	8	936	825
6.70×15	6	760	670
6.70×15	8	895	790
7.00×15	6	850	750
7.00×15	8	1010	890

1	2	3	4
7.00×15	10	1145	1010
7.00×15	12	1280	1125
7.00×16	6	890	780
7.00×16	8	1050	925
7.00×16	10	1200	1050
7.00×10	12	1325	1160
7.50×16	8	1205	1055
7.50×16	10	1375	1205
7.50×16	12	1530	1350
7.50×16	14	1630	1435
एफ 78--15--एलटी	4	675	लागू नहीं होता।
एफ 78--15--एलटी	6	775	”
एफ 78--15--एलटी	8	890	”
एलटी 215 80डी--11	6	870	79
एलटी 215 80डी--14	8	1035	955
एलटी 215 80डी--14	10	1190	1090
एलटी 215 80आर--14	–	1190	1090
एलटी 195 80डी--15	6	790	लागू नहीं होता
एलटी 195 80डी--15	8	925	”
7.00×20	10	1660	1450
7.50×20	10	1855	1030
7.50×20	12	2060	1805
8.25×20	12	2365	2075
8.25×20	14	2585	2275
9.00×20	12	2710	
9.00×20	14	2980	2615
9.00×20	16	3075	2695
10.00×20	14	3180	2790
10.00×20	16	3480	3050
10.00×20	18	3575	3130
11.00×20	14	3470	3040
11.00×20	16	3785	3325
11.00×24	14	3910	3435
12.00×20	14	3685	3230
12.00×20	16	4070	3575
12.00×20	18	4320	3785
14.00×20	20	5[illegible]20	4665
14.00×20	22	5765	[illegible]060
4.50×12	6	255	लागू नहीं होता
4.50×17	6	395	”
5.00/5.25×16	5	405	”
5.20×10	6	275	”
5.20×12	6	310	”
5.20×13	6	335	”
5.20×14	6	375	”

(1)	(2)	(3)	(4)
			लागू नहीं होता
5.20×14	4	315	”
5.60×13	4	330	”
5.60×13	6	385	”
5.60×14	6	405	”
5.60×15	6	425	”
5.65×12	4	250	”
5.65×12	6	275	”
5.75/6.00×16	6	545	”
5.90×13	6	425	”
5.90×14	6	440	”
5.90×15	6	460	”
6.15×13	4	340	”
6.15×13	6	385	”
6.40×13	3	465	”
6.40×15	6	530	”
6.40×15	8	610	”
6.50×6.7×16	6	545	”
6.70×13	4	455	”
6.70×13	6	515	”
6.70×15	6	560	”
6.95×14	6	515	”
7.00×13	6	510	”
7.00×14	6	545	”
7.25×13	6	545	”
7.50×14	6	600	”
7.60×15	6	650	”
7.60/7.00×15	6	650	”
7.75×14	6	60[illegible]	”
145/70 आर 12	--	325	”
145/70 आर 13	--	345	”
155/70 आर 13	--	387	”
165/70 आर 13	--	437	”
145/70 आर 14	--	365	”
155/70 आर 14	--	405	”
165/70 आर 14	--	465	”
195/70 आर 15	--	630	”
145/80 आर 10	--	315	”
145/80 आर 12	--	355	”
155/80 आर 12	--	400	”
145/80 आर 13	--	375	”
155/80 आर 13	--	425	”
165/80 आर 13	--	475	”
175/80 आर 13	--	530	”
145/80 आर 14	--	410	”
155/80 आर 14	--	450	”
165/80 आर 14	--	500	”

1	2	3	4
175/80 आर 14	--	560	लागू नहीं होता
165/80 आर 15	--	530	"
195/80 आर 15	--	630	"
3.50×10	6	375	"
4.00×8	4	340	"
4.0×08	6	400	"
4.00×10	4	370	"
4.00×10	6	435	"
4.50×8	6	400	"
4.50×10	6	475	"
4.50×10	8	520	"
4.50×8	4	340	"
2.75×10	4	150	"
2.75×30	6	160	"
3.00×10	4	175	"
3.50×8	4	195	"
3.50×10	4	225	"
2.25×16	4	120	"
2.25×16	6	138	"
2.25×17	4	127	"
2.25×17	6	145	"
2.25×18	4	132	"
2.25×18	6	154	"
2.50×14	4	123	"
2.50×16	4	138	"
2.50×16	6	160	"
2.50×17	4	145	"
2.50×17	6	171	"
2.50×18	4	154	"
2.50×18	6	152	"
2.75×14	4	140	"
2.75×14	6	160	"
2.75×17	4	169	"
2.75×17	6	205	"
2.75×18	4	175	"
2.75×18	6	210	"
3.00×14	4	160	"
3.00×14	6	182	"
3.00×18	4	195	"
3.00×18	6	220	"
3.00×19	4	205	"
3.00×19	6	230	"
3.25×16	4	200	"
3.25×16	6	240	"

1	2	3	4
			लागू नहीं होता
3.25×18	4	220	"
3.25×18	6	270	"
3.25×19	4	230	"
3.25×19	6	275	"
3.50×18	4	250	"
3.50×18	6	290	"
3.50×19	4	255	"
3.50×19	6	295	
1.75×19	मानक	80	"
1.75×19	पुनः प्रवृत्त	115	"
2.00×19	मानक	90	"
2.00×19	पुनः प्रवृत्त	125	"
2.00×22	मानक	95	"
2.00×22	पुनः प्रवृत्त	130	"
2.25×16	मानक	95	"
2.25×16	पुनः प्रवृत्त	130	"
2.25×19	4	135	"
2.50×16	मानक	110	"
2.50×16	पुनः प्रवृत्त	150	"
2.50×19	मानक	120	"
2.50×19	पुनः प्रवृत्त	165	"
8.3/8×24	4	625	"
8.3/8×24	6	810	"
8.3/8×32	4	715	"
8.3/8×32	6	920	"
11.2×28	4	900	"
11.2×28	6	1115	
11.2×	8	1305	
11.4×24	4	945	"
13.4×34	6	1200	"
12.4×28	4	1005	"
12.4×28	6	1275	"
12.4×28	4	1510	"
12.4×36	8	1135	"
12.4×38	6	1440	"
13.4×38	4	1165	"
12.4×18	6	1480	"
12.6×38	4	1100	"
13.8×20	6	1430	"
13.6×28	8	1645	"
13.6×38	6	1660	"
13.6×38	8	1910	"
16.9×28	6	1840	"

1	2	3	4
16.9×28	8	2175	लागू नहीं होता
16.9×30	6	1900	"
16.9×30	8	2245	"
18.4×30	10	2815	"
18.4×30	12	3180	"
18.4×30	11	3405	"
4.00×19	4	355	"
5.50×16	4	425	"
5.50×16	6	525	"
6.00×16	4	450	"
6.00×16	6	560	"
6.00×16	8	675	"
6.50×16	4	510	"
6.50×16	6	615	"
6.50×20	4	600	"
6.50×20	6	725	"
7.50×16	8	1355	"
आकर्षण	10	1525	"
ट्रैक्टर ट्रैलर	12	1710	"
9.00×16 आकर्षण	14	1865	"
ट्रैक्टर ट्रैलर	16	2290	"

(i) उपरोक्त अधिकतम भार सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार और उसमें उपदर्शित अधिकतम फीत स्फीति दाब के लिए और वह मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 के अधीन अधिसूचना में निहत गति सीमाओं के लिए समायोजित किया गया है।

(ii) "परिवहन यानों, माल और यात्री यान" के टायरों की बाबत उपरोक्त भार इस शर्त के अधीन लागू होगा कि एक्सिल भार अनुज्ञात सीमाओं से अधिक न हो।

20. मूल नियमों के नियम 98 में—

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) किसी मोटर साइकिल तिपहिया अशयन यात्री गाड़ी ट्रैक्टर या किसी रोड रोलर से भिन्न प्रत्येक मोटर यान में स्वतन्त्र और दक्ष ब्रेक प्रणालियां अर्थात् हैंड ब्रेक और पाद चालित सर्विस ब्रेक हों :

परन्तु यह कि किसी मोटर साइकिल में स्वतन्त्र और दक्ष ब्रेकिंग प्रणालियां होंगी जो या तो दोनों हाथों से प्रचलित होंगी या एक पाद प्रचालित होगी तथा अन्य हस्त प्रचालित होगी।"

(ii) उपनियम (2) में परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(iii) उपनियम (4) में "चार पहियों से कम वाले किसी यान की दशा में" शब्दों के स्थान पर "एक हजार किलोग्राम से अधिक वाले सकल यान भार की तिपहिया यान को दशा में" शब्द रखे जाएंगे।

(iv) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारम्भ की तारीख से ही विनिर्मित प्रत्येक मोटरयान में एक प्रणाली होगी जिसका कार्यपालन निम्नलिखित भारतीय मानकों के अनुरूप होगा अर्थात :—

(i) मोटर साइकिलों के भा.मा : 10376 या भा मा. 11716, जैसा लागू हो।

(ii) एक हजार किलोग्राम से अधिक सकल भार वाले तिपहिया यानों के लिए।

(iii) एक हजार किलोग्राम से अधिक वाले सकल भार यान वाले तिपहिया यानों और सभी यानों का भा.मा : 11852 के लिए।

स्पष्टीकरण : भारतीय मानकों से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक अभिप्रेत है।

(v) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7.(क) 500 घन सेंटीमीटर से अधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहियों से भिन्न और मोटरसाइकिलों से भिन्न मोटर यानों की दशा में सर्विस ब्रेक यान के सभी पहियों पर क्रियाशील होंगे।

(ख) 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाले तिपहियों की दशा में यदि पाद प्रचालित ब्रेक सभी पहियों पर क्रियाशील नहीं हैं तो निम्नलिखित दशाओं का पालन किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) पाद चालित ब्रेक दो पहियों पर क्रियाशील होंगे जो उसी धुरी पर हों।

(ii) पार्किंग ब्रेक के अतिरिक्त यान के अन्य पहिए पर क्रियाशील एक स्वतंत्र ब्रेक होगा जिसमें एक स्वतंत्र हस्त प्रचालित नियंत्रण होगा।

(ग) पाद या बांए हस्त प्रचालित ब्रेकिंग प्रणाली वाले मोटर साइकिलों की दशा में एक ब्रेक कम से कम आगे के पहिए पर क्रियाशील होगा और दाएं हाथ से प्रचालित ब्रेक कम से कम सामने के पहिए पर क्रियाशील होगा।"।

(vi) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम और सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर यान की दशा में सर्विस ब्रेकिंग प्रणाली और 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों और मोटरसाइकिलों की दशा में पार्किंग ब्रेक को छोड़कर किसी एक प्रणाली से प्रचालित ब्रेकिंग प्रणाली यानों को एकदम रोक देने के लिए सक्षम होगी जो सारणी में तत्स्थानी रूप से विहित दशा के अनुसार जब परीक्षण किया जाता है निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर रुके होंगे। परीक्षण अच्छी दशा में शुष्क स्तर ठोस सड़क पर संचालित किया जाएगा। गतिवर्धक नियंत्रण को परीक्षण के दौरान पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाएगा और हस्तचालित गीयर वाले यानों की दशा में स्थानांतरण नियंत्रण के ऊपर का गीयर और क्लच लगे रहेंगे।

सारणी

क्रम सं.	यान की किस्म	भार	परीक्षण गति (गति जिस पर ब्रेक लगाया जाएगा) किमी. प्रतिघंटा	ब्रेक की किस्म	रुकने की दूरी (मीटर में)
1.	500 घन सेंटीमीटर अनधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों और मोटरसाइकिलों को छोड़ कर सभी यान	लदे हुए रजिस्ट्रीकृत जोबीडब्लू या	30	पाद प्रचालित सर्विसक	12.7
	"	बिना लदे हुए	30	"	9.5
	"	लदे हुए	40	"	15
	"	बिना लदे हुए	40	"	12
2.	500 घन सेंटीमीटर अनधिक क्षमता के इंजन वाले दुपहिए और मोटर साइकिल	लदे हुए रजिस्ट्रीकृत जोबीडब्लू या	30	हस्त प्रचालित	19
		"	30	पाद प्रचालित	12.7
	"	या बिना लदे हुए	30	हस्तप्रचालित	

इस परीक्षण के प्रयोजन के लिए बिना लदे मोटर साइकिल से भिन्न किसी यान का ऐसे यान से अभिप्रेत है जो बिना किसी भार के है और यह केवल ड्राइवर और अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए परीक्षण का सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए विहित रूप से उपबन्ध किया गया है तथा अन्य उपकरण यदि कोई हो लग जाएगा। बिना लदे मोटरसाइकिलों की दशा में ऐसे यान से वह यान अभिप्रेत है जो केवल एकल सवार और अन्य मापक उपकरणों, यदि कोई हों, को ले जाएगा।

21. मूल नियमों के नियम 98 में,—

(i) उपनियम (1) में "छड़ों और इंडियों" शब्दों के स्थान पर "बोल्ट संयोजन छड़ों और इंडियों" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) 500 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों से भिन्न सभी मोटरयान, मोटरसाइकिल और अशक्त यात्री गाड़ियों के स्टीयरिंग गीयर जो केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रवृत्त होने के पश्चात् विनिर्मित किए जाते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक : 119480 के अनुरूप होंगे।

22. मूल नियम के नियम 99 में, "आगे या पीछे" शब्दों के स्थान पर "विपरीत दिशा में भी" शब्द रखे जाएंगे।

23. मूल नियमों के नियम 100 में—

(क) उपनियम (1) के परन्तुक में, "पारदर्शी एक्रीलिक चादर" शब्दों के स्थान पर "एक्रीलिक प्लास्टिक पारदर्शी चादर" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगे, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक मोटरयान का वायुरोधी कांच और खिड़कियों के कांच ऐसे होंगे और वे ऐसी दशा में बनाए रखे जाएंगे कि दृश्य-प्रेषण का प्रकाश 70% से अन्यून हो। बाजू की खिड़कियों में प्रयुक्त कांच ऐसे होंगे और ऐसी दशा में बनाए रखे जाएंगे कि दृश्यप्रेषण का प्रकाश 70% से अन्यून हो।

(ग) इस प्रकार प्रतिस्थापित उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रवृत्त होने के पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक यान के सामने का वायुरोधी कांच पटलित सुरक्षा कांच का बना होगा।

स्पष्टीकरण—"इन उपनियमों के प्रयोजनों के लिए पटलित कांच से ऐसा कांच अभिप्रेत है जो प्लास्टिक सामग्री के मध्यवर्ती परत या परतों द्वारा इकट्ठे रखे गए कांच के दो या दो से अधिक परतों से मिल कर बना है। पटलित सुरक्षा कांच टूटेगा और पर्याप्त भार से बिखरेगा किन्तु कांच के टुकड़े प्लास्टिक से चिपके होंगे और वे इधर-उधर नहीं बिखरेंगे। यदि उसमें कोई सुराख किया जाता है तो उसके किनारे साधारण कांच के मुकाबले नुकीले नहीं होंगे"।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी मोटर यान को इस नियम के उपबन्ध से छूट दे सकेगी।"।

24. मूल नियमों के नियम 101 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

"101. वायुरोधी कांच प्रोक्षक—(1) तिपहिया अशक्त यात्री गाड़ी, मोटरसाइकिलों और 500 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों को छोड़ कर वायुरोधी कांच वाले प्रत्येक मोटर यानों पर एक दक्ष शक्ति प्रचालित वायुरोधी कांच प्रोक्षक लगा होगा।

(2) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारंभ से ही विनिर्मित ऐसे मोटरयानों पर, 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता वाले तिपहियों और मोटरसाइकिलों तथा अशक्त यात्री गाड़ियों से भिन्न वाले वायुरोधी कांच लगे होंगे जिसमें एक दक्ष वायुरोधी कांच प्रोक्षक प्रणाली लगी होगी और यह भाग 1 के खंड 3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 और भाग 2 के 4.4 खंड को छोड़कर सभी खंडों तथा भाग 3 के खंड 6 के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भा.मा. 7827 की धारा 2 के अनुरूप होंगे।

(3) 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों में या तो शक्ति प्रवाहित या हस्त प्रवाहित वायुरोधी कांच प्रत्येक प्रणाली लगी होगी ।

25. मूल नियमों के नियम 102 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"102 संकेतन उपकरण—दिशासूचक और स्टाप लाइट :—(1) सभी मोटरयानों पर दाएं या बाएं मुड़ने के इरादे के संकेत विद्युत प्रचालित दिशासूचक लैंपों द्वारा दिए जाएंगे । प्रत्येक यान में ये लगे होंगे और इस प्रकार रखे जाएंगे कि निम्नलिखित दशाओं की पूर्ति हो सके :

(i) दिशासूचक लैंप एम्बर रंग के होंगे जो 60 से अन्यून की दर की लाइट फ्लैशिंग और 120 फ्लैश से अनधिक की लाइट फ्लैशिंग प्रति मिनट की गति से मुड़ने के आशय को सूचित करने के लिए प्रदीप्त होंगे।

(ii) लैंपों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश जब यह प्रचालन में हो सामने और बाजू की ओर से अस्पष्ट रूप से दृश्यमान होगा।

(iii) ऐसे दिशासूचकों का न्यूनतम प्रदीप्त क्षेत्र निम्नलिखित होगा :

(क) दो टन से अनधिक भार के बिना लदे यानों का एकमात्र सामने को अपवर्जित करते हुए सात व्यक्तियों को ले जाने वाले की दशा में 22.5 वर्ग सेंटीमीटर :

परंतु यह कि यान चार पहियों से कम वाले या चार पहियों वाले ट्रेलर जिसमें दोनों ओर दो दो जुड़वा पहिए लगे हों को छोड़कर ट्रेलर को खींचने के प्रयोग किए जाने वाले, या

(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित यानों को छोड़कर यानों की दशा में, 60 वर्ग सेंटीमीटर :

परंतु यह कि इस उपनियम की कोई बात 1, जून, 1990 के पूर्व विनिर्मित 60 घन सेंटीमीटर से अधिक की लंबित इंजन वाले मोटर-साइकिलों और 10 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले मोटर साइकिलों को लागू नहीं होगी ।

(2) यान के रुकने का इरादा किसी विद्युत स्टाप लैंप द्वारा सूचित किया जाएगा जो लाल रंग का होगा और यान के बाजू में लगा होगा। स्टाप लैंप सर्विस ब्रेक नियंत्रण के लागू करने के समय ही प्रकाशमान होगा :

परंतु यह कि किसी मोटरसाइकिल की दशा में स्टाप लैंप बाजू के पहियों पर ब्रेकों के नियंत्रण के प्रचालन के समय प्रकाशमान होगा।

(3) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारंभ से ही प्रत्येक मोटरसाइकिल के स्टाप लैंप को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा और इस प्रकार लगाया जाएगा कि यह यान के पिछले पहियों पर ब्रेकों के लगाने और उनके नियंत्रण के समय ही प्रकाशमान होगा।" ।

26. मूल नियमों के नियम, 103 के उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"(2) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारंभ से ही, 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों और मोटरसाइकिलों को छोड़ कर प्रत्येक मोटर यान इस प्रकार सज्जित होंगे और उनमें ऐसे उपकरण लगे होंगे कि जब यान स्थिर अवस्था में हों तो सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं को परिसंकटमय चेतावनी देने के लिए बड़ा सभी दिशासूचक फ्लैश लगे हों" ।

27. मूल नियमों के नियम 104 में,—

(i) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर प्रत्येक यान पर दो परावर्तक, दोनों ओर पार्श्व में लगे होंगे। ऐसे यानों की दशा में जहां उसकी समग्र लंबाई 6 मीटर से अधिक है प्रत्येक परावर्तक और परावर्तन क्षेत्र 28.5 वर्ग सेंटी मीटर से कम नहीं होगा और ऐसे यान की दशा में जिसकी समग्र लंबाई छह मीटर से कम है सात वर्ग सेंटीमीटर होगा और लाल परावर्तन पट्टी 30 मिलीमीटर से अन्यून की चौड़ाई की और 15 सेंटीमीटर से अन्यून की लंबाई की होगी। प्रत्येक मोटरसाइकिल में एक लाल प्रतिवर्ती परावर्तक पार्श्व में लगा होगा जिसके परावर्तन क्षेत्र सात वर्ग सेंटीमीटर से कम होगा और एक लाल परावर्तन पट्टी 20 मिलीमीटर से अन्यून की चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर से अन्यून की लंबाई की होगी।

(2) 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहियों को छोड़कर प्रत्येक माल वाहक यान पर एक सफेद परावर्तक बाडी के एकदम दाहिने और सामने की ओर मुंह किए हुए कोने में दाहिने नीचे लगे होंगे। ऐसे यानों की दशा में जिसकी समग्र लंबाई छह मीटर से अधिक है परावर्तक का परावर्तन क्षेत्र 28.5 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा और अन्य यानों की दशा में यह 7 वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।"

(ii) (I) उपनियम (3) में, "लहसुनिया रंग के" शब्दों के स्थान पर "प्रतिवर्त" शब्द रखा जाएगा;

(II) "प्रत्येक माल वाहन में या" या ऐसे माल यान की दशा में, जिनमें पीछे बाडी का निर्माण न किया गया हो," शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारंभ की तारीख से ही इस नियम और नियम 110 में निर्दिष्ट परावर्तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप प्रतिवर्त किस्म के होंगे।"

28 मूल नियमों के नियम 105 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(I) खंड (क) में "मोटरसाइकिल और अशक्त यात्री गाड़ी को के सिवाय" शब्दों के स्थान पर "आटोरिक्शा, 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहिया यान और तिपहिया अशक्त गाड़ी की दशा के सिवाय" शब्द रखे जाएंगे ।

(II) खंड (ख) में—

"और जहां रजिस्ट्रीकरण चिह्न यान के सामने की ओर प्लेट के दोनों ओर प्रदर्शित किया जाता है वहां वह इस प्रकार लगाया जाएगा कि प्लेट दोनों ओर से प्रभावित की जा सके; शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारंभ तारीख से ही मोटरसाइकिलों से भिन्न किसी मोटर यान के आवश्यक सामने के हैड लैंप यथाशक्य निकटतम एक ही पंक्ति के होंगे और उनकी ऊंचाई जमीन से हैड लैंप के नीचे किनारे तक एक मीटर से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि चार पहियों पर चलने वाले यानों और समग्र देश में चलने वाले यानों की दशा में उनकी ऊंचाई 1 2 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(iii) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ही विनिर्दिष्ट प्रत्येक मोटर यान में जब यान विपरीत गीयर में चल रहा हो उसके पार्श्व में सफेद प्रकाश डालने के लिए पार्श्व में एक लैंप लगा होगा। जब यान विपरीत गीयर में चल रहा हो तो उसके लिए एक श्रव्य सूचना प्रणाली भी लगी होगी। श्रव्य सूचना प्रणाली और प्रकाश इस प्रकार से स्वतः

प्रचालित होंगे जिससे कि यह प्रणाली जब तक कि यान विपरीत गीयर में हो काम नहीं करेंगी :

परन्तु यह कि यानों के विभिन्न वर्गों और किस्मों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख अधिसूचित की जा सकेंगी ।"

29. मूल नियमों के नियम 105 में,—

(i) उपनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) स्थायी रूप से उस विस्तार तक नीचे की ओर अपवर्तित होता हो कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की आंख को चकाचौंध न कर सके जिसकी आंख निम्नलिखित स्थित में हो—

(अ) सामने के लैंप से आठ मीटर की दूरी पर ;

(आ) लैंप के दाईं ओर जैसे यान के एकदम दाईं ओर लैंप के दाएं किनारे से 0.5 मीटर की दूरी पर हो, और

(इ) यान की आधार सीमा तल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो"

(ii) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (3) को उपनियम (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ।

30. मूल नियम के नियम 107 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"107. सबसे ऊपर की बत्तियां :—

तिपहिया यानों को छोड़ कर प्रत्येक माल वाहक यान में ऊपर दो बत्तियां लगी होंगी जिनमें सामने की ओर और सबसे ऊपर बाहिने कोने में और पीछे की ओर सबसे ऊपर बाहिने कोने में लगी होगी। जब यान सड़क पर स्थित अवस्था में हो तो उसकी बत्तियां जलती रहेंगी और उस समय जब कम दिखाई देता हो जो जलती रहेंगी ।

परन्तु ऐसे माल वाहक यान की दशा में जिसमें पीछे बाडी न लगी हो पीछे की ओर सबसे ऊपर वाली बत्ती लगाना आवश्यक नहीं होगा ।

31. मूल नियमों के नियम 108 के परन्तुक में निम्नलिखित मदें अंत में जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

(vi) बाजू की संख्या प्लेट को प्रदीप्त करने वाली सफेद बत्तियां,

(vii) जब यान पीछे की दिशा में चल रहा हो तब चालक के मार्गदर्शन के लिए सफेद बत्ती का होना।" ।

32. मूल नियमों के नियम 109 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"109. 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहियों और मोटरसाइकिलों तथा तिपहिया अशक्त गाड़ियों को छोड़ कर प्रत्येक मोटरयान पर सामने की बत्तियों के अतिरिक्त दोनों तरफ दानेदार कांच लगाकर एक सफेद या एंबर पार्किंग बत्ती लगाई जाएगी जो आगे की अन्य बत्तियों के समान होगी और बाजू में दो अतिरिक्त लाल बत्तियां होंगी जो तब भी जलती रहेंगी जब यान सड़क पर स्थिर अवस्था में हो।"

33. मूल नियमों के नियम 110 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

110. आटो रिक्शा और 500 घन सेंटी मीटर में अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहियों पर लैंप

प्रत्येक आटो रिक्शा और 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहिए में एक आगे का लैंप और दो सफेद पार्श्व बत्तियां या बाडी पर दो आगे के लैंप लगे होंगे । आगे की बत्तियों या पार्श्व बत्तियों के अतिरिक्त उसमें पिछला भाग दर्शित करने के लिए एक पीछे का लैंप लगा होगा और 75 मीटर की दूरी से दिखाई देने वाली पीछे के लाल बत्ती और यान के पीछे की ओर प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण चिह्न को प्रदीप्त करने वाली सफेद बत्ती जिस से रजिस्ट्रीकरण चिह्न 15 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सके और 7 वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून के परावर्तन क्षेत्र वाले और 30 सेंटीमीटर से अन्यून की चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर से अन्यून की लंबाई की एक लाल परावर्तक पट्टी वाले प्रत्येक यान पर दो लाल प्रतिवर्त परावर्तक भी लगे होंगे।"

34. मूल नियमों के नियम 112 में अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि ऐसे यानों में जहां निष्कासित गैस यान के दाईं और नियोचित की जाती है, उसके नीचे की ओर कोण अनुज्ञात होगा परन्तु यह तब जब तक निष्कासित गैस धूल को न उड़ाती हो जब यान खड़ा हुआ हो और उसके इंजन चल रहे हों और किसी भी दशा में क्षैतिज कोण 30 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए।"

35. प्रमुख नियमावली के नियम 114 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"114 ए, इस नियम के लागू होने के बाद से मानव जीवन के लिए खतरनाक और जोखिम भरे माल को ढोने वाले प्रत्येक वाहन पर चिंगारी नियंत्रक (स्पार्क अरेस्टर) फिट किया जाएगा"

36. नियम 115 में,—

(1) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) 1 मार्च, 1990 से पूर्व विनिर्मित 60 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता वाले मोटरयानों को छोड़कर प्रत्येक मोटर यान ऐसी दशा में बनाए रखा जाएगा और ऐसे चलाया जाएगा कि इन नियमों विनिर्दिष्ट मानकों का पालन किया जा सके,

(ii) उपनियम (2) की सारणी में खंड (ग) के नीचे :—

(क) परीक्षा पद्धति शीर्षक के नीचे स्तंभ में "पूर्ण भार" शब्दों के पश्चात् "या" शब्द अत: स्थापित किया जाएगा ।

(ख) मद (क) में, स्तंभ 2 में '3.1' अंकों के स्थान पर '3.25' अंक रखे जाएंगे; और

(ग) मद (ख) में, स्तंभ (2) में, '2.3' अंकों के स्थान पर '2.45' अंक रखे जाएंगे ।";

(3) उपनियम (5) में "वे भारतीय चालन चक्र के अधीन उत्सर्जन के निम्नलिखित स्तरों के अनुरूप हों" शब्दों के स्थान पर 'जब उनका उपबंध V में विनिर्दिष्ट परीक्षण चक्र के अनुसार परीक्षण किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ।

(4) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) उस तारीख से जिसको यान पहली बार रजिस्ट्रीकृत किया जाता जाता है, एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक यान ऐसा यान राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकृत अधिकरण द्वारा जारी किया गया "प्रदूषण नियंत्रणाधीन" प्रमाणपत्र जो विधिमान्य हो रखा जाएगा । इस प्रमाणपत्र की विधिमान्यता छह मास के लिए होगी और यह प्रमाणपत्र यान में सर्वदा रखा जाएगा और मांग करने पर पेश किया जाएगा ।

(8) उपनियम (7) के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र जब इसकी विधिमान्यता प्रभावी हो पूरे भारत में लागू रहेगी ।"

37 मूल नियमों के नियम 116 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"116(1) नियम 115 के उपनियम (7) में किसी बात के होते ए भी पुलिस उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी या कोई

मोटर वाहन निरीक्षक यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि नियम 115 के उपनियम (2) या उपनियम (7) के उपबंधों का किसी मोटर यान द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है तो वह यान के ड्राइवर या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति को लिखित में किसी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र में उत्सर्जन के मानकों को मापने के परीक्षण करने के लिए यान को पेश करने का निदेश दे सकेगा और जांच करने की तारीख से सात दिन के भीतर लिखित निर्देश में वर्णित पते पर किसी प्राधिकारी को प्रमाणपत्र पेश करेगा

(2) यान का चालक या भारसाधक कोई व्यक्ति उपनियम (1) में किसी अधिकारी द्वारा ऐसा निदेश मिलने पर नियम 115 के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुपालन करने के लिए परीक्षण करने के लिए यान को अधिकारी द्वारा यथा नामनिर्देशित किसी प्राधिकृत परीक्षण में पेश करेगा।

(3) नियम 115 के उपनियम (2) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उसका माप प्रमुख नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित किसी एजेंसी द्वारा अनुमोदित प्रकार के किसी मीटर द्वारा किया जाएगा ।

(4) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र सात दिन की नियत अवधि के भीतर पेश नहीं किया जाता है या यदि यान नियम 115 के उपनियम (2) के उपबंधों का अनुपालन सात दिन की अवधि के भीतर करने में असफल रहता है तो यान का स्वामी अधिनियम की धारा 190 के उपनियम (2) के अधीन विहित शास्ति का दायी होगा।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर यान का चालक या उसका भारसाधक कोई व्यक्ति त्रुटियों का सुधार करेगा जिससे कि नियम 115 के उपनियम (2) के उपबंधो का सात दिन की अवधि के भीतर अनुपालन किया जा सके और यान को उक्त परीक्षण केन्द्र मे पुनः जांच के लिए प्रस्तुत करेगा तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को परीक्षण अभिकरण से इस प्रकार अभिप्राप्त प्रमाणपत्र को पेश करेगा।

(6) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट यान का ड्राइवर या उसका भारसाधक कोई व्यक्ति उक्त सात दिन की अवधि के भीतर उक्त प्रमाणपत्र पेश करता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसे यान के नियम 115 के उपनियम (2) के उपबंधो का उल्लंघन किया है और पड़ताल अधिकारी मामले की रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उपनियम (6) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति पर कारणों को लेखबद्ध करते हुए यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को तब तक के लिए जब तक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष इस भाग का प्रमाणपत्र की यान नियम 115 के उपनियम (2) के उपबंधों का अनुपालन करता है, निलंबित कर देगा।

(8) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के इस प्रकार निलंबन पर मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय 5 के अधीन या अध्याय 6 के अधीन यान की बाबत अनुदत्त कोई परमिट तब तक निलम्बित समझा जाएगा जब तक कि नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन एक नया "प्रदूषण नियंत्रणाधीन" प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है । " ।

38. मूल नियमों के नियम 117 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारंभ की तारीख से ही विनिर्दिष्ट प्रत्येक यान में एक गतिमापी लगा होगा जो भार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भा.मा : 11027 में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा ।"

39. प्रमुख नियमावली के नियम 118 में निम्नलिखित उप नियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) इस उप-नियम के लागू होने के बाद से मानव जीवन के लिए खतरनाक और जोखिम भरे माल को ढोने वाले प्रत्येक वाहन पर भी आई एस की विशिष्टिताओं के अनुरूप "टेकोग्राफ" फिट किया जाएगा (मोटर वाहनों के चलाने के समय की त्रुटियों, समय गति, त्वरण और अवत्वरण को रिकार्ड करने वाला उपकरण)

40. प्रमुख नियमावली के नियम 120 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक मोटर वाहन का निर्माण और रख रखाव इस प्रकार किया जाएगा कि वह निम्न तालिका में दर्शाए गए ध्वनि स्तरों के अनुरूप हो ।

तालिका

आटोमोबिल्ज के लिए ध्वनि सीमाये (निर्माण की अवस्था में 8-मीटर खुली जगह में (डी बी-ए में) जो 31-12-1992 तक प्राप्त करनी है ।

(क) मोटर साईकिल, स्कूटर और तिपहिया	80
(ख) यात्री कार	82
(ग) 4 एम टी तक के यात्री या व्यावसायिक वाहन	85
(घ) 4 एम टी से ज्यादा तथा 12 एम टी तक के यात्री या व्यावसायिक वाहन	89
(ङ) 12 एम टी से अधिक क्षमता यात्री या व्यवसायिक वाहन	91

41. मूल नियम मे नियम 122 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"122 (1) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारंभ की तारीख से ही प्रत्येक मोटरयान का विनिर्माता ट्रेलरों और अर्द्ध ट्रेलरों को छोड़ प्रत्येक मोटर यान की चेसिस पर पहचान संख्यांक अंकित कराएगा जिसके अंतर्गत उस पर विनिर्माण के मास और वर्ष का उत्कीर्णन या निक्षारित अथवा छिद्रित करना भी है । उत्कीर्णन या निक्षारण अथवा छिद्रण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात :—

(क) अनुदर्ध्य अवयव वाले यानों में अगली और पिछली धुरियों के बीच अनुदर्ध्य के अवयव के बांई ओर जो उतनी चेसिस में जिसका एक का पंक्तिज में क्षेत्रफल 250 मि मी.,× 30 मि.मी से अधिक नहीं;

(ख) अनुदर्ध्य अवयव वाले यानों से भिन्न यानो में वायुरोधी कांच के निकट बोनट के नीचे दाईं ओर उसी रीति में जैसा खंड (क) मे निर्दिष्ट है;

(ग) मोटरसाइकिल की दशा मे, स्टीयरिंग कालम पर उतनी चेसिस में जिसकी लंबाई 150 मिलीमीटर और चौड़ाई 20 मिलीमीटर से अधिक न हो;

(घ) तिपहियों की दशा में हैंडिल छड़ या स्टीयरिंग व्हील केन्द्र के नीचे मुख्य ढांचे पर या चेसिस फ्रेम के स्थाई भाग पर;

(ङ) ट्रैक्टरों और ऐसे कारणों की दशा में जिनमें चेसिस फ्रेम या स्थाई ढांचा नहीं होता है ड्राइवर की सीट के नीचे उसी रीति में जैसा खंड (क) में निर्दिष्ट है और जो ड्राइवर की सीई को छेड़े बिना पीछे से स्पष्ट दिखाई दे;

(च) एक धुरी वाले ट्रेलर या अर्द्ध ट्रेलर की दशा में धुरी के केन्द्र के ऊपर अनुदर्ध्य अवयव के दांई ओर उस रीति में जो खंड (क) के निर्दिष्ट है;

(छ) एक से अधिक धुरी वाले ट्रेलर या अर्द्ध ट्रेलर की दशा मे, अगली धुरी के केन्द्र के ऊपर उस रीति मे जैसे खंड (क) में निर्दिष्ट है;

(2) यान विनिर्माता रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस स्थान की बाबत जहां प्रत्येक माडल की बाबत उत्कीर्णन या निरीक्षण अथवा छिद्रण किया जाना है, केन्द्रीय सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय को सूचित करेगा और इन ब्यौरों की सूचना सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को देगा। कोई भी विनिर्माता केन्द्रीय सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित करने के पूर्व उत्कीर्णन, निक्षारण अथवा छिद्रण कराने के स्थान को नहीं बदलेगा।

परन्तु यह कि किसी भी दशा में मोटरसाइकिलों और 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहियों के लिए चेसिस संख्यांक के उत्कीर्णन, निक्षारण अथवा छिद्रण की ऊंचाई 5 मीलीमीटर से कम होगी तथा सभी अन्य मोटर यानों की दशा में सात मिलीमीटर से कम होगी।"

42. मूल नियमों के नियम 123 में "किसी भी मोटरसाइकिल का" शब्दों के पश्चात् "जिनमें पीछे बैठने के लिए व्यवस्था है" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

43. मूल नियमों के नियम 124 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"124. संघटकों के सुरक्षा मानक—(1) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर किसी भाग, संघटक या संयोजन के मानकों को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो यान के विनिर्माण में उपयुक्त किए जाते हैं और वह तारीख जिससे ऐसे भाग संघटक या योज्य किसी यान के विनिर्माण में उपयुक्त किए जाते हैं विहित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना होने पर प्रत्येक विनिर्माता ऐसे भागों, संघटकों या संयोज्य को यान विनिर्माण में उपयोग करेगा।

(2) प्रत्येक विनिर्माता प्ररूप 22 में नियम के उपबंधों के अनुपालन को प्रमाणित करेगा।"।

44. मूल नियमों के नियम 125 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"125—सुरक्षा बेल्ट, आटो डिपर और पीछे का दृश्य देखने का दर्पण—(1) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से ही मोटरसाइकिलों और 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों को छोड़ कर प्रत्येक मोटरयान का विनिर्माता ऐसे सभी यानों को निम्नलिखित से सज्जित करेगा:

(क) ड्राइवर और अगली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट; और

(ख) आटो डीपर

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से ही सभी मोटर यान पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण से सज्जित होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) और उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए यानों के विभिन्न वर्गों या किस्मों तथा संघटकों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें अधिसूचित कर सकेगी।

45. मूल नियमों के नियम 126 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"126. प्रत्येक मोटर यान के प्रोटोटाइप का परीक्षा किया जाना— केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रारंभ की तारीख से ही प्रत्येक मोटर यान का विनिर्माता ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों को छोड़ कर सभी मोटर यानों के प्रोटोटाइप का परीक्षण जो उसके द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान और विकास स्थापन या आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे या सेंट्रल मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बुदली (मध्य प्रदेश) को या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून तथा ऐसे अन्य अभिकरणों को जो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उस स्थापन द्वारा प्रमाणन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं पेश करेगा।"।

46.क मूल नियमों के नियम 126 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"126क. नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ये यान मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाए गए आदेशों के उपबंधों के अनुरूप हैं विनिर्माताओं की उत्पादन धारा से मूल नियमों के नियम 128 में,—

(i) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) यात्री प्रवेश और निकास—यात्री प्रवेश-सह-निकास द्वार उन यानों में जिनमें सामने पर्याप्त प्रवेश है यान के बांई ओर होना चाहिए और द्वारा कम से कम 685 मि.मी. मीटर खुलना हुआ होना चाहिए। द्वार का हैंडिल ऐसा होना चाहिए कि उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला जा सके। द्वार यथोचित ताला उपकरणों या [illegible] अथवा विद्युत से प्रचालित हो सकता है।

(ii) उपनियम (4) में, "ऊपर कब्जा लगाकर" शब्दों का लोप किया जाएगा।

48. मुख्य नियमों के नियम 129 में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा अर्थात् :—

"(iv) किसी खतरनाक अथवा जोखिमी सामग्री की ढुलाई करने वाला प्रत्येक माल वाहन आग, विस्फोट अथवा खतरनाक या जोखिमी सामग्री से बचने के लिए सुरक्षा उपकरणों से सुज्जित होगा।"

49. मूल नियमों के नियम 131 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"131. खतरनाक या परिसंकट में माल के सुरक्षित परिवहन के लिए परेषक का उत्तरदायित्व—

(1) किसी खतरनाक या परिसंकटमय माल का परिवहन करने का आशय रखने वाले परेषक का यह उत्तरदायित्व कि वह निम्नलिखित को सुनिश्चित कर ले, अर्थात् :—

(क) माल यान का उक्त माल को ले जाने के लिए विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है,

(ख) यान किसी दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक प्राथमिक उपचार, सुरक्षा उपस्कर और प्रतिकारक से सज्जित हो,

(ग) यह कि परिवहनकर्ता या माल यान के स्वामी के पास खतरनाक या परिसंकटमय में माल के बारे में पर्याप्त सूचना हो, और

(घ) यह कि माल यान का ड्राइवर ऐसे माल के परिवहन के दौरान होने वाले खतरे की बाबत प्रशिक्षित हो।

(2) प्रत्येक परेषक परिवहन किए जा रहे खतरनाक और परिसंकटमय माल की बाबत माल यान के स्वामी को संपूर्ण और पर्याप्त जानकारी देगा जिससे कि ऐसा स्वामी या उसका ड्राइवर—

(क) नियम 129 से नियम 137 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) तक के अपेक्षाओं का अनुपालन कर सकेंगे;

(ख) किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा को ऐसे माल द्वारा उत्पन्न जोखिम से सावधान हो सके; और

(ग) परेषक का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि नियम 129 से नियम 137 तक (जिसके दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंधों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए सही और पर्याप्त जानकारी है।

50. मूल नियमों के नियम 132 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"132 परिवहन कर्ता या माल यान के स्वामी का दायित्व—

(1) किसी खतरनाक या परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले माल यान के स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित सुनिश्चित करले, अर्थात् :—

(क) यह कि माल यान का उक्त माल को ले जाने के लिए विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है और उक्त यान उक्त माल के परिवहन के लिए सुरक्षित है;

(ख) यह कि यान दुर्घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक प्राथमिक उपचार, सुरक्षा उपस्कर औजार पेटी और प्रतिकारक से सज्जित है

(2) माल यान का प्रत्येक स्वामी अपने माल यान में खतरनाक या परिसंकटमय माल का परिवहन करने का वचन देने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि परेषक द्वारा दी गई जानकारी, नियम 137 में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के वर्गीकरण की बाबत सभी बाबत और अनुरूप संपूर्ण तथा सही है ।

(3) माल यान का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे यान के ड्राइवर को परिवहन के लिए उसको सौंपे गए खतरनाक या परिसंकटमय माल की बाबत इन नियमों के उपबंध 5 में लिखित में सभी सुसंगत जानकारी दे दी गई है और अपना यह समाधान करेगा कि ऐसे ड्राइवर को ऐसे माल की प्रकृति और उससे होने वाले जोखिम की प्रकृति को पर्याप्त समझ है जो ऐसे परिवहन में हो हो सकती है तथा वह आवश्यकता के समय कोई भी समुचित कार्य करने के लिए सक्षम है ।

"(4) खतरनाक अथवा जोखिमी सामग्री ढोने वाले माल वाहन का मालिक तथा ऐसा माल भेजने वाला प्रत्येक ट्रिप के लिए रूट निर्धारित करेगा तथा चालक इसके लिए बाध्य होगा जब तक कि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अन्यथा निदेश अथवा अनुमति न दी जाए । वे निर्धारित रूट के संबंध में गन्तव्य स्थान को जाने तथा वापस आने की प्रत्येक ट्रिप के लिए समय-सूची भी निर्धारित करेंगे ।'

(5) यह सुनिश्चित करना मालिक का कर्तव्य होगा कि खतरनाक अथवा जोखिमी सामग्री की ढुलाई करने वाले माल वाहन का चालक इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस रखे ।

4. संक्रमणकालीन उपबंध—इन नियमों की किसी बात के होते हुए भी, नियम 131 और नियम 132 के उपबंधों का यह पर्याप्त अनुपालन होगा यदि खतरनाक या परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाला परेषक और माल यान का स्वामी अथवा परिवहनकर्ता इन शर्तों का केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर पालन करता है ।

51. मूल नियमों के नियम 133 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"133. ड्राइवर का दायित्व—

(1) किसी खतरनाक या परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले माल वाहन का ड्राइवर यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 132 के उपनियम (3) के अधीन उसको लिखित में दी गई सूचना ड्राइवर के केबिन में रखी गई है और यह उस खतरनाक या परिसंकटमय में माल से संबंधित है जिसका परिवहन किया जा रहा है तथा सभी समयों पर वाहन में उपलब्ध है ।"

(2) किसी खतरनाक या परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले माल वाहन का ड्राइवर उसके द्वारा ले आए जा रहे खतरनाक या परिसंकटमय माल को आग से या उसके विस्फोट होने से या उसे निकालने से बचने के लिए उन सभी समयों पर जब माल वाहन गति में हो सभी आवश्यक निदेशों का पालन करेगा और जब वह चलाया न जा रहा हो तब वह यह सुनिश्चित करेगा कि माल वाहन ऐसे स्थान पर खड़ा किया जाए जहां आग, विस्फोट तथा किसी अन्य जोखिम का खतरा न हो और वह हर संभव उसके या 18 वर्ष की आयु से अधिक के किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहे ।

52. मुख्य नियमों के नियम 134 के उप नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप नियम (2) जोड़ा जाएगा :—

"(2) ट्रिप विशेष में ढोए जाने वाले विशेष खतरनाक अथवा जोखिमी सामग्री के लिए उप नियम (1) में दी गई सूचना स्टीकर के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी ।"

(ख) मुख्य नियमों नियम 131 के उप नियम (2) का अब उप नियम (3) नम्बर दिया जाएगा ।

53 मूल नियमों के नियम 136 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा,—

"136. ड्राइवर दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें :

किसी दुर्घटना या परिसंकट में माल का परिवहन करने वाले माल वाहन का ड्राइवर उस खतरनाक या परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले माल वाहन का ड्राइवर उस खतरनाक या परिसंकटमय माल से जिसका उसके वाहन द्वारा परिवहन किया गया है, किसी दुर्घटना की चपेट में आने पर निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरन्त रिपोर्ट करेगा तथा दुर्घटना की बाबत माल परिवहन के स्वामी या परिवहनकर्ता को भी सूचित करेगा ।"

54. फार्म—1क में "फार्म-1 में आवेदक द्वारा की गई घोषणा कि उसका शारीरिक रूप से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र संलग्न है ।" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को एक नये पैराग्राफ के रूप में जोड़ा जाएगा :—

"मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप में आवेदक की प्रतिक्रिया अवधि, पार्श्वपृष्ठ और "स्टेयर रिकवरि" के मामले में जांच की है । (मानव जीवन के लिये खतरनाक और जोखिम भरे माल ढोने वाले माल वाहनों को चलाने हेतु लाईसेंस के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों को लागू है)

55. मूल नियमों के प्ररूप 20 में,—

(1) शीर्षक के नीचे निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(दोनों प्रतियों में तैयार किया जाएगा यदि यान किसी अवक्रय/आडमान/पट्टे के करार के अधीन लिया जाता है और उसकी दूसरी प्रति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित यान के रजिस्ट्रीकरण पर वित्तपोषक को उसी समय लौटा दी जाएगी);

(2) रजिस्ट्रीकर्ता स्वामी के नमूना हस्ताक्षर के नीचे दी गई चेसिस के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

. . . . ",

(3) '(वित्त पोषक का नाम और पता) .—कोष्ठकों और शब्दों के नीचे अंत में आने वाले "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या समुचित अभिस्वीकृति के अधीन परिदान" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सम्यक अभिस्वीकृति सहित" शब्द रखे जाएंगे ।

56 मूल नियमों के प्ररूप 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप—22

(नियम 47(छ) 115(6), 124, 126अ और 127 देखिए)

प्रदूषण मानकों के अनुपालन, संघटकों के सुरक्षा मानक और सड़क योग्यता का प्रारंभिक प्रमाणपत्र।

(विनिर्माता द्वारा दिया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि [यान का ब्रांड नाम] जिसकी चेसिस

संख्या-------------------------- और इंजन सं.--------------- है, मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करता है :—

विनिर्माता के हस्ताक्षर

प्ररूप 22—विनिर्माता के हस्ताक्षर सहित जो प्ररूप पर हमें सम्यक मुद्रण द्वारा विनिर्माता के प्रतिरूप हस्ताक्षर को चिपका कर जारी किया जाना चाहिए।

प्ररूप—22(क)

(नियम 47(छ), 124 और 127 देखिए)

प्रदूषण मानक संघटकों के सुरक्षा मानक और सड़क योग्यता के अनुपालन का प्रमाणपत्र (उन कारणों के लिए जिनकी बाडी पृथक् रूप से निर्मित की जाती है)।

भाग 1

विनिर्माता द्वारा किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि

(यान का ब्रांड नाम)--------------------------------
चेसिस सं.--और
इंजन सं.---है
मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाए गए नियमों का पालन करता है।

विनिर्माता के हस्ताक्षर

प्ररूप 22क—विनिर्माता के हस्ताक्षर सहित जो प्ररूप पर ही सम्यक मुद्रण द्वारा विनिर्माता के प्रतिरूप हस्ताक्षर को चिपका कर जारी किया जाना चाहिए।

*भाग 2

(बाडी विनिर्माता द्वारा किया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि

(यान का ब्रांड नाम)----------------------------------
चेसिस सं.-------------------------------------और
इंजन सं.--है
की बाडी का निर्माण हमारे द्वारा किया गया है और यह मोटर यान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करता है।

बाडी विनिर्माता के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप 22-क– विनिर्माता के हस्ताक्षर सहित जो प्ररूप पर ही सम्यक मुद्रण द्वारा बाडी निर्माता के प्रतिरूप हस्ताक्षर को चिपका कर जारी किया जाना चाहिए।

57 मूल नियमों के प्ररूप 23 में,–

(i) "यान का संक्षिप्त वर्णन" प्रविष्टि के नीचे और "रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम" प्रविष्टि के ऊपर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

"उस व्यौहारी का नाम और पता जिससे यान क्रय किया गया है।"

(ii) "पूरा पता (स्थायी)" प्रविष्टियों के नीचे और "तारीख" प्रविष्टि के ऊपर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

"रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा चिपकाए और प्रमाणित किए जाएंगे"।

(iii) क्रम सं० 18 की प्रविष्टियों में "ट्रेलर या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(4) क्रम सं. 22 के नीचे की प्रविष्टि में "रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो चिपकाए और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(5) अवक्रय/पट्टा/आडमान के करार को लेखबद्ध करने के लिए दी गई जगह के नीचे निम्नलिखित शब्द और टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा चिपकाए और प्रमाणित किए जाएंगे।

(6) प्ररूप के अंत में आने वाले टिप्पण में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"(iii) जब कभी अवक्रय/पट्टा/आडमान के करार के पृष्ठांकन या रद्दकरण का टिप्पण लेखबद्ध किया जाता है तब वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान अभिकर्ता प्राधिकारी द्वारा चिपकाए और प्रमाणित किए जाएंगे।"

58. प्ररूप 24 में, के स्तंभ (5) और स्तंभ (6) के शीर्षक के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

"वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा चिपकाए और प्रमाणित किए जाएंगे।"

59. मूल नियम के प्ररूप 26 में,—

(i) 'मैंने/हमने खोने की रिपोर्ट तारीख -------------को ----------------पुलिस थाने में कर दी है।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात :—

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने तारीख -------------------को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खोने के बारे में इसके खोने की सूचना मिलने के तुरन्त पश्चात पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर दी है (प्रति संलग्न है)"।

(ii) पूरे पते सहित आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के लिए दी गई जगह के नीचे पैरा में 'और वित्त पोषक के अभिप्राप्त "आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र संलग्न है" आने वाले शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) टिप्पण के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :—
"धारा 51 (6) के अधीन "आदेश न होने का प्रमाणपत्र" देने के लिए वित्त पोषक की सहमति

मैं/हम जो ऊपर विनिर्दिष्ट मोटरयान की बाबत अवक्रय/पट्टा/आडमानकार का/के पक्षकार हूं/हैं :

मुझे/हमें उक्त यान का दूसरा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में आक्षेप है।

मुझे/हमें नीचे दिए गए कारणों से उक्त यान का दूसरा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में कोई आक्षेप नहीं है।

तारीख ----------- वित्त पोषक के हस्ताक्षर"

(iV) "(वित्तपोषक का नाम और पता)" कोष्ठकों और शब्दों के नीचे "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उचित रसीद के अधीन प्रदत्तव" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उचित रसीद दे कर" शब्द रखे जाएंगें।

60. मूल नियम के प्ररूप 27 में,--

(i) पैरा 7 में "और मैं/हम वित्तपोषक से अभिप्राप्त आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं/करते हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) पैरा 8 में "यदि वित्त पोषक का आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) "आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" शब्दों के लिए दी गई जगह के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:

"मुझे/हमें जो ऊपर विनिर्दिष्ट मोटरयान की बाबत अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के पक्षकार हूं/हैं :

(1) उक्त यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न देने में कोई आक्षेप नहीं है।

(2) नीचे दिए गए कारणों से उक्त यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न देने में आक्षेप है ....

....

तारीख .... वित्त पोषक के हस्ताक्षर

(4) (वित्तदाता का नाम और पता) कोष्ठकों और शब्दों के नीचे, "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उचित रसीद के अधीन परिदत्त" शब्दों के स्थान पर "उचित रसीद सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

61. मूल नियम के प्ररूप 28 में,--

(i) मद 14 जोड़ी जाएगी, अर्थात् :--

"14. क्या यान किसी अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के अधीन धृत है, यदि हां तो वित्तपोषक का पूरा नाम और पता दें।";

(ii) यान के स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के नीचे दी गई जगह के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"भाग 2. किसी करार के अधीन धृत मोटरयान की दशा में वित्तपोषक की सहमति

मैं/हम जो उक्त यान की बाबत अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का/के पक्षकार हूं/हैं, इसके द्वारा :

1. केवल ऊपर निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त यान के लिए आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र देने के लिए सहमति देता हूं/देते हैं।

2. नीचे दिए गए कारणों की वजह से उक्त यान के लिए आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र देने के लिए अपनी सहमति से इन्कार करता हूं/करते हैं ....

....

तारीख .... वित्तपोषक के हस्ताक्षर

(iii) भाग 2 और भाग 3 को भाग 3 और भाग 4 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(iv) भाग 3 में "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उचित रसीद के अधीन परिदत्त" शब्दों के स्थान पर "उचित रसीद सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

(v) "सेवा मे,

.... (रजिस्ट्रीकृत स्वामी" शब्दों के नीचे "प्रतिलिपि : रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ....
वित्तपोषक............ ." शब्द जोड़े जाएंगे,

62. प्ररूप 33 में "यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" और "कार्यालय पृष्ठांकन" शब्दों के बीच दिए गए स्थान में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"किसी करार के अधीन धृत मोटरयान की दशा में वित्तपोषक की सहमति

मैं/हम जो उक्त यान की बाबत किसी अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का/के पक्षकार हूं / हैं इसके द्वारा :—

1. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 23 और प्ररूप 24 में मेरे/हमारे पक्ष में किसी करार में टिप्पण देते हुए उपर्युक्त स्थान के परिवर्तन कराने के लिए सहमति देता हूं/ देते हैं

2. नीचे दिए गए कारणों की वजह से रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त पते में परिवर्तन कराने से इन्कार करता हूं/करते हैं।

तारीख ————————वित्त पोषक के हस्ताक्षर

(ii) "वित्तपोषक का नाम और पता)" "कोष्ठकों और शब्दों के नीचे "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या सम्यक् रसीद के अधीन परिदत्त किया गया" शब्दों के स्थान पर "सम्यक् रसीद सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

63. मूल नियम के प्ररूप 47 में निम्नलिखित को प्रविष्टि 13 के रूप में अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"13. निम्नलिखित राज्य(राज्यों) के लिए प्राधिकार भिन्न भिन्न राज्य के परमिट धारकों द्वारा करों के संदाय के अधीन रहते हुए है

1.
2.
3.
4.

64. मूल नियम के प्ररूप 49 का लोप किया जाएगा।

65. मूल नियम मे उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात :—

[1 उपनियम 15(3)]

1. पट्रोल से चलने वाले यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक टाईप अनुमोदन परीक्षण

दुपहिया और तिपहिया यान

निर्देश द्रव्यमान भार (किलो)	सी ओ (ग्रा/किलो)	एच सी (ग्रा/ किमी)
1	2	3
R ≤ 150	12	8
150 R ≤ 350	$12+\frac{18(R-150)}{200}$	$8+\frac{4(R-150)}{200}$
R > 350	30	12

हल्का ड्यूटी यान

निर्देश द्रव्यमान भार डब्ल्यु (किलो)	सी ओ (ग्रा/किमी)	एच सी (ग्रा/किमी)
1	2	3
rw ≤ 1020	14.3	2.0
1020 < rw ≤ 1250	16.5	2.1
1250 < rw ≤ 1470	18.8	2.1
1470 < rw ≤ 1700	20.7	2.3
1700 < rw ≤ 1930	22.9	2.5
1930 < rw ≤ 2150	24.9	2.7
rw ≤ 2150	27.1	2.9

2. उत्पादन परीक्षणों की अनुरूपता :

दुपहिया और तिपहिया यान :

निर्देश द्रव्यमान आर (किलो) सी ओ (ग्राम/किलो) एच सी (ग्रा/किलो)

1	2	3
$R \leq 150$	15	10
$150 < R \leq 350$	$15 + \frac{25\,(R-150)}{200}$	$10 + \frac{5(R-150)}{200}$
$R \leq 350$	40	15

हल्का ड्यूटी यान

निर्देश द्राव्यमान, आर डब्ल्यू (किलो) सी ओ (ग्रा/किलो) एच सी (ग्रा/किलो

1	2	3
$rw \leq 1020$	17.3	2.7
$1020 < rw \leq 1250$	19.7	2.7
$1250 < rw \leq 1470$	22.5	2.8
$1470 < rw \leq 1700$	24.9	3.0
$1700 < rw \leq 1930$	27.6	3.3
$1930 < rw \leq 2150$	29.9	3.5
$rw \leq 2150$	32.6	3.7

स्पष्टीकरण : द्रव्यमान उत्सर्जन मानक यान के चलने से ग्रामों में उत्सर्जित प्रदूषकों की नाम निर्देश हैं । जो भारतीय ड्राईविंग चक्र का प्रयोग करके चेसिस डायनमोमीटर परीक्षण द्वारा अवधारित किया जाए ।

66. मूल नियम के उपबंध 2 में, मद संख्या 15 के सामने स्तंभ 3 में आने वाले "33-34" अंको के स्थान पर "37-34" अंक रखे जाएंगे ।

67. मूल नियम के उपबंध 4 में,—

(i) "अवशोषण गुणांक K(m-1)" के स्थान पर अवशोषण गुणांक "K(1/m)" और "अवशोषण गुणांक (K9-1)" शब्द अक्षर, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ii) "अवशोषण गुणांक शीर्षक" के नीचे "1.31" अंकों के स्थान स्थान पर "1.13" अंक रखे जाएंगे ।

68. मूल नियम के उपबंध 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"उपबंध 4=क

[(नियम 115(5) देखिए]

परीक्षण चक्र

निम्नलिखित 13-माड चक्र का डायनमोमीटर प्रचालन व इंजन के परीक्षण पर अनुपालन किया जाएगा :—

माड सं.	इंजन की गति	प्रतिशत भार
1.	बेकार	—
2.	मध्यवर्ती	10
3.	यथोक्त	25
4.	यथोक्त	50
5.	यथोक्त	75
6.	मध्यवर्ती	100
7.	बेकार	75
8.	रोटत	100
9.	यथोक्त	75
10.	यथोक्त	50
11.	यथोक्त	25
12.	यथोक्त	10
13.	बेकार	—

[फा. सं. आरटी-11028/6/91-एमबीएल]

जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 1992

G.S.R. 491(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 12, 27, 64, sub-section (14) of section 86 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government

DRAFT RULES

THE CENTRAL MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) RULES, 1992

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. For rule 4 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Evidence as to the correctness of address and age.—Every applicant for the issue of a licence under this chapter shall produce as evidence of his address and age, any one or more of the following documents in original or relevant extracts thereof duly attested by a Gazetted Officer of the Central Government or of a State Government or an officer of a local body who is equivalent in rank of a Gazetted Officer of the Government or Village Administration Officer or

Municipal Corporation Councillor or Panchayat President, namely,—

1. Ration Card,
2. Electoral Roll,
3. Life Insurance Policy,
4. Passport,
5. Electricity or Telephone Bill,
6. Pay slip issued by any office of the Central Government or a State Government or a local body,
7. House tax receipt,
8. School Certificate,
9. Birth Certificate,
10. Certificate granted by a registered medical practitioner not below the rank of a Civil Surgeon as to the age of the applicant.

Provided that where the applicant is not able to produce any of the above mentioned documents, the licensing authority may accept any affidavit sworn by the applicant before Executive Magistrate, First Class Judicial Magistrate or a Notary Public as evidence of age and address.

3. In rule 9 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) On and from the date of commencement of this rule, any person driving a goods carriage carrying goods of dangerous or hazardous nature to human life shall be in addition to being the holder of driving licence to drive a transport vehicle also possess ability to read and write one scheduled Indian language and English and also possess a certificate of having successfully passed a course consisting of following syllabus and periodicity connected with the transport of such goods.

Period of training	3 days
Place of training	At any institute recognised by the State Government.
Syllabus	
A. Defensive driving	
Questionnaire	Duration of training for
Cause of accidents	A & B—1st and 2nd day.
Accidents statistics	
Drivers personal fitness	
Car condition	
Braking distances	
Highway driving	
Road/Pedestrian crossing	
Railway crossing	
Adopting to weather	
Head on collusion	
Rear and collusion	
Night driving	
Films and discussion	
(B) Advanced driving skills and field test and training	
(i) Discussion	
Before starting	—Check list
	—outside/below/near vehicle
	—product side
	—inside vehicle
During driving	—collect speed/gear
	—signalling
	—lane control
	—overtaking/giving side
	—speed limit /safe distance/driving on slopes.
Before stopping	—Safe stopping place signalling, road width, condition.
After stopping	—preventing vehicle movement
	—wheel clocks
	—vehicle attendance
Night driving	
(ii) Field test/training	—1 driver at a time.

(C) Product safety		
UN Panel	—UN classification —Hazchem Code — Toxicity, flammabilitity, other definitions.	Duration of training for (C) & (D)— Third day
Production Information	—TERM Cards —CIS/MSDS —Importance of temperature, pressure level. —Explosive limits. —Knowledge about Equipment	
Emergency Procedure	—Communication —Spillage handling —Use of PPE — Fire fighting — First Aid — Toxic release control — Protection of wells, rivers, lakes, etc. —use of protective equipment —knowledge about valves etc.	

4. In rule 31 of the principal rules, for sub-rule (5) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) Nothing in this rule shall apply in the case of an applicant whose driving licence authorises him to drive a motor cycle or a three-wheeler non-transport vehicle or a motor car applying for a licence to drive a motor cab, of the respective type or in the case of an applicant holding a driving licence to drive a tractor applying for a licence to drive a tractor-trailer combination."

5. In sub-rule (1) of rule 47 of the principal rules for clause (c) the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) Copy of the proceedings of the State Transport Authority or Transport Commissioner or such other authorities as may be prescribed by the State Government for the purpose of approval of the design in the case of a trailer or a semi trailer.".

6. In rule 48 of the principal rules for the word and figures "Form 23", the following words, figures and proviso shall be substituted, namely :—

"Form 23 :

Provided that where the certificate of registration pertains to a transport vehicle it shall be handed over to the registered owner only after recording the certificate of fitness in Form 38."

7. In rule 50 of the principal rules,—

(i) for the heading and the words begining with "The registration mark referred to in sub-section (6) of section 41" and ending with "not less than 1.5 centimetres", the following heading and words shall be substituted, namely :—

"50. Form and manner of display of registration marks in the motor vehicles.

(1) The registration mark referred to in sub-section (6) of section 41 shall be displayed both at the front and at the rear in all motor vehicles in reflecting colours clearly and legibly on a plain surface of a plate or part of the vehicle by more than thirty degrees, at the front facing direct to the front and at the rear facing direction the rear.

(2) In the case of motor cycle the registration mark in the front shall be displayed parallel to the handle bar facing the front instead of, on a plate in line with the axis of the vehicle.";

(ii) after the words "such trailer or tractors are attached" the following sub-rules shall be inserted, namely:

"(3) The registration mark shall be exhibited in two lines, the State Code and registering authority code forming the first line and rest forming the second line, one below the other :

Provided that the registration mark in the front may be exhibited in one line.

Provided further that in models of vehicles having no sufficient provision to exhibit the registration mark in two lines it shall be sufficient if in such vehicles registration mark is exhibited in a single line.

(4) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992 every vehicle manufactured shall be provided with sufficient space in the rear for display of registration mark in two lines."

8. For rule 51 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"51. Size of letters and figures in the registration mark.—The dimension of letters and figures

of the registration mark and the space between different letters and numerals and letters and edge of the plain surface shall be as follows :—

(In Millimetres)

Sl. No.	Class of Vehicle		Dimensions not less than		
			Height	Thickness	Space between
1.	All motor cycles and three wheeled invalid carriages	Rear-letters and figures	35	7	5
2.	All motor cycle and three wheeled invalid carriages	Rear-numerals	40	7	5
3.	Motor cycles with engine capacity less than 70 cc	Front-leters figures & numerals	15	2.5	2.5
4.	Other motor cycles	Front-letters, figures & numerals	30	5	5
5.	Three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc	Rear and front numerals	35	7	5
6.	Three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc	Rear front and numerals	40	7	5
7.	All other vehicles	Rear and front letters, figures & numerals	65	15	10

9. In sub-rule (1) of rule 53 of the principal rules the words "and intimate the fact in writing to the Registering Authority by whom the certificate of registration was issued", shall be omitted.

10. In clause (b) of sub-rule (3) of rule 63 for the words "sanitary block for erection", the words "sanitary block and space for erection", shall be substituted.

11. For clause (b) of sub-rule (2) of rule 82 of the principal rules, the following clause shall be substituted :

"(b) A tourist permit shall be deemed to be invalid from the date on which the vehicle covered by the permit completes 9 years in the case of a motor cab and 8 years where the vehicle is other than a motor cab can unless the vehicle is replaced.".

12. After sub-rule (2) of rule 83 of the principal rules the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) The authority which grants the authorisation shall inform the State Transport Authorities concerned the registration number of the vehicle, the name and address of the permit holder and the period for which the said authorisation is valid.

Provided that where the permit holder undertakes to pay the tax direct to the concerned State Transport Authorities at the time of entry in their jurisdiction, the authorisation shall expressly state that it has been issued subject to payment of taxes to the concerned State.".

13. In rule 85 of the principal rules,—

(i) in sub-rule (1) the words "duly attested by the Executive Magistrate or Sub-Inspector of Police or a Gazetted Officer of the State Transport Authority or Regional Transport Authority authorised in this regard of the area from which the tour emanates", shall be omitted ;

(ii) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) One copy of the list referred to in sub-rule (1) shall be carried in the tourist vehicle and shall be produced on demand by the officers authorised to demand production of documents by or under the Act and the second copy shall be preserved by the permit holder." :

(iii) in sub-rule (3) for the words "two months" the words "three months" shall be substituted.

14. In sub-rule (2) of rule 85-A of the principal rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that this sub-rule shall not apply to motor cabs covered under the 'Rent a Cab Scheme, 1989".

15. For rule 88 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"88. Age of motor vehicle for the purpose of national permit :

(1) No national permit shall be granted in respect of a goods carriage other than multiaxle vehicle which is more than 9 years old at any point of time.

(2) No national permit shall be granted for a multiaxle goods carriage which is more than 15 years old at any point of time.

(3) A national permit shall be deemed to be invalid from the date on which a carriage covered by the permit completes 15 years in case of a multiaxle goods carriage and 9 years where the vehicle is other than a multiaxle goods carriage unless such carriage is replaced.

Explanation.—For the purpose of this rule, the period of 9 years or 15 years as the case may be, shall be computed from the date of initial registration of the vehicle covered under its permit or the Prime Mover in case of an articulated vehicle.

motor cabs covered under the 'Rent a Cab Scheme, 1989".

16. In sub-rule (4) of rule 90 of the principal rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that this sub rule shall apply to light motor vehicles and medium goods vehicles only from a date to be notified by the Central Government.".

17. In sub-rule (1) of rule 92 of the principal rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that nothing contained in this rules shall apply to vehicles manufactured prior to the coming into force of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992.

18. In rule 93 of the principal rules, sub-rule (7) shall be renumbered as sub-rule (8) and in sub-rule (6), —

(i) the Explanation shall be renumbered as Explanation II and for the opening portion before the Explanation as renumbered, the following opening portion and Explanation shall be substituted, namely:—

"(6) The overcharge of the motor vehicle other than a tractor shall not exceed 60 per cent of the wheel base.

Explanation I.—For the purpose of this rule "wheel base" means:—

(a) in the case of vehicle with only two axles, the distance measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the vehicle, between the centre points of the front axle and rear axle.

(b) in case of a vehicle having only three axis, and the front axle is only the steered axle, the distance measured horizontally and parallel to longitudinal axis of the vehicle between the centre of the front axle and centre point between the two rear-axles."

(ii) in Explanation II as renumbered,

(I) in paragraph A after item (vii) the following item shall be inserted, namely :—

"(viii) any mounted implement on a 3 point linkage of a tractor."

(II) in paragraph B in item (ii) for the words and figures "appoint 102 millimeters in rear of the centre of straight line joining centre points of rear and middle axle the words "the centre point of the rear most axle" shall be substituted.

(III) itm (vii) of paragraph 'B' shall be rembered as sub-rule (7).

19. In rule 95 of the principal rules.

(i) for the words "such vehicles specified" the words "such tyre specified" shall be substituted.

(ii) for the Table the following Table shall be substituted, namely :—

Size	Plyrating specified by the Manufacturer	Max. weight permitted to carry	
		Single	Dual
(1)	2	3	4
4.50 x 12 ULT	6	355	340
4.50 x 12 ULT	8	415	395
6.00 x 16	6	710	620
6.00 x 16	8	835	730
6.50 x 16	6	795	705
6.50 x 16	8	935	825
6.70 x 15	6	760	670
6.70 x 15	8	895	790
7.00 x 15	6	850	750
7.00 x 15	8	1010	890
7.00 x 15	10	1145	1010
7.00 x 15	12	1280	1125
7.00 x 16	6	890	780
7.00 x 16	8	1050	925
7.00 x 16	10	1200	1050
7.00 x 16	12	1325	1160
7.50 x 16	8	1205	1055
7.50 x 16	10	1375	1205
7.50 x 16	12	1530	1350
7.50 x 16	14	1630	1435
F 78—15—1.	4	675	N.A.

(1)	(2)	(3)	(4)
F 78—15	6	775	N.A.
F 78—15—L7	8	890	N.A.
LT 215 80D—14	6	870	795
LT 215 80D—14	8	1035	955
LT 215 80D—14	10	1190	1090
LT 215 80R—14	—	1190	1090
LT 195 80D—15	6	790	N.A.
LT 195 90D—15	8	925	N.A.
7.00 x 20	10	1660	1450
7.50 x 20	10	1855	1630
7.50 x 20	12	2060	1805
8.25 x 20	12	2365	2075
8.25 x 20	14	2585	2275
9.00 x 20	12	2710	2332
9.00 x 20	14	2980	2516
9.00 x 20	16	3075	2699
10.00 x 20	14	3160	2790
10.00 x 20	16	3480	3155
10.00 x 20	18	3575	3130
11.00 x 20	14	3470	3040
11.00 x 20	16	3785	3325
11.00 x 24	14	3910	3435
12.00 x 20	14	3685	3230
12.00 x 20	16	4070	3575
12.00 x 20	18	4320	378
14.00 x 20	20	5320	4665
14.00 x 20	22	5765	5060
4. 50x 12	6	255	N.A.
4.50 x 17	6	395	N.A.
5.00/5.25 x 16	6	405	N.A.
5.20 x 10	6	275	N.A.
5.20 x 12	6	310	N.A.
5.20 x 13	6	335	N.A.
5.20 x 14	6	375	N.A.
5.20 x 14	4	315	N.A.
5.60 x 13	4	330	N.A.
5.60 x 13	6	385	N.A.
5.60 x 14	6	405	N.A.
5.60 x 15	6	425	N.A.
5.65 x 12	4	250	N.A.
5.65 x 12	6	275	N.A.
5.75/6.00 x 16	6	545	N.A.
5.90 x 13	6	425	N.A.
5.90 x 14	6	440	N.A.
5.90 x 15	6	460	N.A.
6.15 x 13	4	340	N.A.
6.15 x 13	6	385	N.A.
6.40 x 13	6	465	N.A.
6.40 x 15	6	520	N.A.
6.40 x 15	8	610	N.A.
6.50 x 5.7 x 16	6	545	N.A.
6.70 x 13	4	455	N.A.
6.70 x 13	6	515	N.A.
6.70 x 15	6	560	N.A.
6.95 x 14	6	515	N.A.
7.00 x 13	6	510	N.A.
7.00 x 14	6	545	N.A.
7.25 x 13	6	545	N.A.
7.50 x 14	6	600	N.A.
7.60 x 15	6	650	N.A.
7.60 /7.00 x 15	6	650	N.A.
7.75 x 12	6	600	N.A.
145/70 R 12	—	325	N.A.
145/70 R 13	—	345	N.A.

(1)	(2)	(3)	(4)
155/70 R 13	—	387	N.A.
165/70 R 13	—	437	N.A.
145/70 R 14	—	365	N.A.
155/70 R 14	—	405	N.A.
165/70 R 14	—	465	N.A.
195/70 R 15	—	630	N.A.
145/80 R 10	—	315	N.A.
145/80 R 12	—	355	N.A.
155/80 R 12	—	400	N.A.
145/80 R 13	—	375	N.A.
155/80 R 13	—	425	N.A.
165/80 R 13	—	475	N.A.
175/80 R 13	—	530	N.A.
145/80 R 14	—	410	N.A.
155/80 R 14	—	450	N.A.
165/80 R 14	—	500	N.A.
175/80 R 14	—	560	N.A.
165/80 R 15	—	530	N.A.
195/80 R 15	—	630	N.A
3.50 x 10	6	375	N.A.
4.00 x 8	4	340	N.A.
4.00 x 8	6	400	N.A.
4.00 x 10	4	370	N.A.
4.00 x 10	6	435	N.A.
4.50 x 8	6	400	N.A.
4.50 x 10	6	475	N.A.
4.50 x 10	8	520	N.A.
4.50 x 8	4	340	N.A.
2.75 x 10	4	150	N.A.
2.75 x 10	6	160	N.A.
3.00 x 10	4	175	N.A.
3.50 x 8	4	195	N.A.
3.50 x 10	4	225	N.A.
2.25 x 16	4	120	N.A.
2.25 x 16	6	138	N.A.
2.25 x 17	4	127	N.A.
2.25 x 17	6	145	N.A.
2.25 x 18	4	132	N.A.
2.25 x 18	6	154	N.A.
2.50 x 14	4	123	N.A.
2.50 x 16	4	138	N.A.
2.50 x 16	6	160	N.A.
2.50 x 17	4	145	N.A.
2.50 x 17	6	171	N.A.
2.50 x 19	4	154	N.A.
2.50 x 18	6	152	N.A.
2.75 x 14	4	140	N.A.
2.75 x 14	6	160	N.A.
2.75 x 17	4	169	N.A.
2.75 x 17	6	205	N.A.
2.75 x 18	4	175	N.A.
2.75 x 18	6	210	N.A.
3.00 x 14	4	160	N.A.
3.00 x 14	6	182	N.A.
3.00 x 18	4	195	N.A.
3.00 x 18	6	220	N.A.
3.00 x 19	4	205	N.A.
3.00 x 19	6	230	N.A.
3.25 x 16	4	200	N.A.
3.25 x 16	6	240	N.A.
3.25 x 18	4	220	N.A.
3.25 x 18	6	270	N.A.
3.25 x 19	4	230	N.A.
3.25 x 19	6	273	N.A.
3.50 x 18	4	250	N.A.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.50 x 18	6	290	N.A.
3.50 x 19	4	255	N.A.
3.50 x 19	6	295	N.A.
1.75 x 19	Standard	80	N.A.
1.75 x 19	Reinforce	115	N.A.
2.00 x 19	Standard	90	N.A.
2.00 x 19	Reinforce	125	N.A.
2.00 x 22	Standard	95	N.A.
2.00 x 22	Reinforce	130	N.A.
2.25 x 16	Standard	90	N.A.
2.25 x 16	Reinforce	130	N.A.
2.25 x 19	4	135	N.A.
2.50 x 16	Standard	110	N.A.
2.50 x 16	Reinforce	150	N.A.
2.50 x 19	Standard	120	N.A.
2.50 x 19	Reinforce	165	N.A.
8.3/8 x 24	4	625	N.A
8.3/8 x 24	6	810	N.A.
8.3/8 x 32	4	715	N.A.
8.3/8 x 32	6	920	N.A.
11.2 x 28	4	900	N.A.
11.2 x 28	6	1115	N.A.
11.2 x 28	8	1 305	N.A.
12.4 x 24	4	945	N,Z.
12A4 x 24	6	,200	N.A .
12.4 x 28	4	1005	N.A.
12.4 x 28	6	1275	N.A.
12.4 x 28	8	1510	N.A.
12.4 x 36	4	1135	N.A.
12.4 x 36	6	1440	N.A.
12.4 x 38	4	1165	N.A.
12.4 x 38	6	1480	N.A.
12.6 x 28	4	1100	N.A.
13.6 x 20	6	1430	N.A.
13.6 x 28	8	1645	N.A.
13.6 x 38	6	1660	N.A.
13.6 x 38	8	1910	N.A.
16.9 x 28	6	1840	N.A.
16.9 x 28	8	2175	N.A.
16.9 x 30	6	1900	N.A.
16.9 x 30		2245	N.A.
18.4 x 30	10	2815	N.A.
18.4 x 30	12	3180	N.A.
18.4 x 30	14	3405	N.A.
4.00 x 19	4	355	N.A.
5.50 x 16	4	425	N.A.
5.50 x 16	6	525	N.A.
6.00 x 16	4	450	N.A.
6.00 x 16	6	560	N.A
6.00 x 16	8	675	N.A.
6.50 x 16	4	510	N.A.
6.50 x 16	6	615	N.A.
6.50 x 20	4	600	N.A.
6.50 x 20	6	725	N.A.
7.50 x 16	8	1355	N.A.
Non traction	10	1525	N.A.
Tractor trailer	12	1710	N.A.
	14	1865	N.A.
9.00 x 16 Non traction	16	2290	N.A.
factor trailer			

20. In rule 96 of the principal rules, —

(i) for sub rule (1) the following sub rule shall be substituted, namely :—

"(1) Every motor vehicle, oher than a motor cycle, three-wheeled invalid carriage, trailer or a road roller shall be equipped with the independent and efficient braking systems, namely, the hand brake and foot operated service brake.

Provided that a motor cycle shall be equipped with the independent and efficient braking systems, either both hand operated or one foot operated and the other hand operated."

(ii) in sub-rule (2), the proviso shall be omitted.

(iii) in sub rule (4) for the words "in case of a vahicle having less than four wheels" the words

"in the case of a three wheeled vehicle with Gross Vehilce Weight exceeding 1000 kfis", shall be substituted.

(iv) after sub rule (4) the following sub rule shall be inserted, namely :—

"(4A) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992, every motor vehicle manufactured shall have a braking system, whose performance shall conform to the following Indian Standdards, namely —

(i) For motor cycles IS: 10376 or IS : 11716 as applicable.

(ii) For 3-wheelers with Gross Vehicle Weight not exceeding 1000 kgs. IS reference as and when notified.

(iii) For 3-wheelers with Gross Vehicle Weight exceeding 1000 kgs.

Explanation.—Indian Standards means the Indian Standards specified by the Bureau of Indian Standards.

(v) for sub rule (7) the following sub rule shall be substitueld, namely :—

"(7) (a) In the case of motor vehicles, other than 3-wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycles, the service brake shall be acting on all the wheels of the vehicle.

(b) In the case of 3-wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc if the shall be fulfilled, namely : —

(i) the foot-operated brake shall act on the two wheels which are of the same axle.

(ii) In addition to the parking brake, there shall be an independent brake acting on the other wheel of the vehicle with an independent hand-operated control.

(c) In the case of motor cycles, the braking system operated with the foot or left hand shall act at least on the rear wheel and the brake operated by right hand at least on the front wheel."

(vi) for sub rule (8) the following sub rule and Table shall be substituted, namely :—

"(8) The service braking system in the case of vehicle other than three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycles, and the braking system operated by one of the means of operation other than the parking brake in case of three wheelers with engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycles, shall be capable of bringing the vehicles to halt, within the distance specified in the following table when tested in accordance to the condition prescribed correspondingly in the table. The test shall be conducted on a dry level hard road in good condition. During the test the accelerator control shall be fully released and in the case of vehicles with manual gear shifting control, the top gear and the clutch shall be engaged.

TABLE

Sl. No.	Type of vehicle	Load	Test speed (The speed at which the brake should be applied) (kmph)	Type of brake	Stopping distance (m)
1.	All other than 3 wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycle.	Laden to the registered GVW	30	Foot operated service	12.7
		OR			
	,,	Unladen	30	,,	9.3
	,,	Laden	40	,,	15
	,,	Unladen	40	,,	12
2.	Two wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycle	Laden to the registered GVW	30	Hand operated	19
		OR			
	,,	,,	30	Foot operated	12.7
		OR			
	,,	Unladen	30	Hand operated	19
	,,	Unladen	30	Foot operated	9.3

For the purpose of this test for vehicles other than motor cycle the unladen means the vehicle is without any load and shall carry only the driver and another person for specific purpose of supervising the test, and the instruments, if any. In the case of motor cycles the unladen means that vehicle will carry only the single rider and the measuring instrument, if any.

21. In rule 98 of the principle rules --

(i) in sub rule (1) for the words "rods and arms" the words "bolt-joints connecting rods and arms" shall be substituted.

(ii) after sub rule (2) the following sub rule shall be inserted, namely :—

"(3) The steering gear of all motor vehicles other than three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc, motor cycles and invalid carriages manufactured after the coming into force of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992 shall conform to the Indian Standards IS : 119480, as specified by the Bureau of Indian Standards.

22. In rule 99 of the principal rules, for the words "either forwards or backwards", the words "in the reverse direction also", shall be substituted.

23. In rule 100 of the principal rules,—

(a) in sub-rule (1), in the proviso for the words "acrylic transparent sheet", the words "acrylic transparent sheet", shall be substituted.

(b) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The glass of the wind screen and rear window of every motor vehicle shall be such and shall be maintained in such a condition that a visual transmission of light is not less than 70 per cent. The glasses used for side windows are such and shall be maintained in such condition that the visual transmission of light is not less than 70 per cent.

(c) after sub rule (2) as substituted the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(3) The glass of the front wind screen of every vehicle manufactured after the coming into force of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992, shall be made of laminated safety glass".

Explanation :—For the purpose of these sub-rules 'laminated glass' shall mean two or more pieces of glass held together by an intervening layer or layers of plastic materials. The laminated safety glass will crack and break under sufficient impact, but the pieces of the glass tend to adhere to the plastic and do not fly. If a hole is produced, the edges are likely to less jagged than would be with the case of ordinary glass.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule if the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient to do so in public interest, it may by order publish in the Official Gazette exempt any motor vehicle for the use by any person, from the provisions of this rule."

24. For rule 101 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"101. Wind Screen Wiper.—(1) An efficient power operated windscreen wiper shall be fitted to every motor vehicle having a wind screen, other than three wheeled invalid cariage, motor cycles and three-wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc.

(2) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992, all motor vehicles manufactured having a windscreen other than three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycles and invalid carriages shall be fitted with an efficient windscreen wiping system which shall conform to the clauses 3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 of part I and all clauses other than 4.4 of part II and clause 6 of part III, section 2 of IS : 7827 specified by Bureau of Indian Standards.

(3) Three-wheelers with the engine capacity not exceeding 500 cc shall be fitted with either a power operated or hand operated windscreen wiper system.".

25. For rule 102 of the principal rules the following rule shall be substituted, namely :—

"102. Signalling devices—Direction indicators and stop lights (1) The signal to turn to the right or to the left shall be given by electrically operated direction indicator lamps on all motor vehicles. Every Vehicle shall be fitted and maintained such that the following contitions are met :

(i) The direction indicator lamps shall be of amber colour which are illuminated to indicate the intention to turn by a light flashing at the rate of not less than 60 and not more than 120 flashes per minute.

(ii) The light emitted by the lamps when in operation shall be clearly visible from both front and rear of the vehicle.

(iii) The minimum illuminated area of each direction indicator shall be :

(a) 22.5 square centimetres, in the case of vehicles with unladen weight not exceeding two tonnes or adapted solely for the carriage of seven persons excluding luggage.

Provided that the vehicle is not used for drawing a trailer other than one of less than four wheels or a four wheeled trailer having two close coupled wheels on each side; or

(b) in the case of vehicles other than those mentioned in sub clause (a), 60 square centimetres.

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to motor cycles of engine capacity exceeding 70 cc manufactured before 1st day of June, 1990 and to motor cycles of engine capacity not exceeding 70 cc.

(2) The intention to stop the vehicle shall be indicated by an electrical stop lamp which shall be red in colour and shall be fitted at the rear of the vehicle. The stop lamp shall light upon the actuation of the service brake control :

Provided that in the case of a motor cycle, the stop lamp shall light up on the actuation of the control operating the brakes on the rear wheels.

(3) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992, the stop lamp of every motor cycle shall be so designed and fitted that it will light upon actuation of any of the controls which actuate the brakes on any wheel."

26. For sub rules (2) and (3) of rule 103 of the principal rules the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992 every motor vehicle other than three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycles shall be equipped with such a device that when the vehicles is in immobilised condition all the direction indicators flash together giving hazard warning to other road users."

27. In rule 104 of the principal rules,—

(i) for sub-rules (1) and (2) following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) Every vehicle other than three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycles shall be fitted with two red reflectors, one each on both sides at the rear. The reflecting area of each reflector shall not be less than 28.5 sq. cms. in the case of vehicles where the overall length is more than 6 metres and 7 square centimetres where the overall length is less than 6 metres and a red reflective tape of not less than 30 millimetres width and 15 centimetres length. Every motor cycle shall be fitted with one red reflex reflector at the rear having the reflecting area of not less than 7 square centimetres and a red reflective tape of not less than 20 millimetre width and 10 centimetres length.

(2) Every goods carriage vehicle other than three wheeler of engine capacity not exceeding 500 cc shall be fitted with one white reflector at right bottom corner in the front side of the body at extreme right and facing to the front. The reflecting area of the reflector shall not be less than 28.5 square centimetres in the case of vehicles with overall length is more than 6 metre and not less than 7 square centimetres in case of other vehicles."

(ii) (I) in sub-rule (3) for the words "cat's eye" the word 'reflex' shall be substituted;

(II) the words 'Every goods carriage' and the words 'in the case of goods carriage not constructed with body in the rear' shall be omitted.

(iii) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles Rules, 1992 the reflectors referred to in this rule and rule 110 shall be reflex type conforming to the Indian Standards specified by the Bureau of Indian Standards."

28. In rule 105 of the principal rules,—

(i) in sub rule (1),—

(I) in clause (a) for the words

"save in case of a motor cycle and an invalid carriage", the words "save in case of auto rickshaw, three wheeled vehicles of engine capacity not exceeding 500 cc and three wheeled invalid carriage" shall be substituted.

(II) in clause (b) the words

"and where the registration mark at the front of the vehicle is exhibited on both sides of the plate so fixed as to illuminate both sides of the plate" shall be omitted.

(ii) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) On and from the commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992, all the obligatory front head lamps of a motor vehicle other than motor cycles shall be as nearly as possible of the same power fixed at a height not exceeding one metre above the ground to the bottom edge of the lamp :

Provided that in the case of 4 wheel driven and cross country vehicles the height shall not be more than 1.2 metres.

(iii) after sub-rule (6) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(7) On and from the date to be notified by the Central Government, every motor vehicle manufactured shall be fitted with one lamp at the rear throwing white light to the rear when the vehicle is being driven in the reverse gear. There shall also be an audible warning system operating when the vehicle is being driven

in the reverse gear. The audible warning system, and the light shall be automatically operated so that this system will not work unless when the vehicle is in reverse gear :

Provided that different dates may be notified for different classes or types of vehicles.

29. In rule 106 of the principal rules,—

(i) for clause (a) of sub-rule (1) the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) is so fitted in such a way or is permanently deflected downward to such an extent, that it is not capable of dazzling any person, whose eye position is—

(A) at a distance to the front of lamp of 8 metres,

(B) at a distance to the right side of the lamp i.e. fitted at right extreme of the vehicle, from the right edge of lamp of 0.5 metre, and

(C) at a height, from the supporting plane of the vehicle of 1.5 metres."

(ii) sub-rule (2) shall be omitted.

(iii) sub-rule (3) shall be renumbered as sub-rule (2).

30. For rule 107 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"107.—Top lights :—Every goods vehicle other than three-wheelers shall be fitted with one white light at the top right corner in front and one red light at the top left corner at the rear. The lights shall remain lit when the vehicle is kept stationary on the road during night and at the times of poor visibility :

Provided that in the case of goods carriage without a full body in the rear, provision for fitting of the top light at the rear shall not be necessary.

31. In the proviso to rule 108 of the principal rules, the following items shall be added at the end, namely :—

"(vi) White lights illuminating the rear number plate,

(vii) White light provided for guidance of the driver while driving in the reverse direction."

32. For rule 109 of the principal rules the following rule shall be substituted, namely :—

"109. Every motor vehicle other than three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and motor cycles and three wheeled invalid carriages shall be provided with one white or amber parking light on each side of the front with frosted glass, in addition to the front lights and in the rear with additional two red lights which shall remain lit even when the vehicle is kept stationary on the road."

33. For rule 110 of the principal rules the following rule shall be substituted, namely :—

"110. Lamp on auto-rickshaws and three-wheelers with engine capacity not exceeding 500 cc.—Every auto-rickshaw and three-wheeler not exceeding 500 cc shall be fitted with one front lamp and two side white lights or two front lamps on the body. In addition to the front lights or side light it shall be fitted with a rear lamp showing to the rear a red light visible from a distance of 75 metres and white light illuminating a registration mark exhibited on the rear of the vehicle so as to render it legible from a distance of 15 meters and also two red reflex reflectors each having a reflecting area of not less than seven square centimetres and a red reflecting tape of not less than 30 milimetres width and 15 centimetres length."

34. In rule 112 of the principal rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided also that in the vehicles where the exhaust gases are discharged to the right of the vehicle, slight downward angle shall be permitted, provided the exhaust gass do not kick up any dust when the vehicle is stationary and engine running and in any case the angle to the horizontal should not be more than thirty degree."

35. After rule 114 of the principal rules the following shall be added; namely :—

"114A. On and from the commencement of this rule every goods carriage carrying goods of dangerous or hazardous nature to human life shall be fitted with a spark arrestor.

36. In rule 115.—

(i) for sub-rule (1) the following sub rule shall be substituted, namely :—

"(1) Every motor vehicle other than motor cycles of engine capacity not exceeding 70 cc manufactured prior to first day of March, 1990 shall be maintained in such condition and shall be so driven so as to comply with the standards prescribed in these rules."

(ii) in the Table under clause (c) of sub-rule (2),—

(a) under the heading 'Method of Test' in column 1, the word "or" shall be inserted after item (a), after the word 'manufacturer';

(b) in item (a), in column 2, for the figures '3.1', the figures '3.25' shall be substituted; and

(c) in item (2), in column 2, for the figures '2.3', the figures '2.45' shall be substituted.";

(iii) in sub rule (5) for the words

"Under the Indian driving cycle", the words "when tested as per test cycle specified in Annexure V", shall be substituted.

(iv) after sub rule (6) the following sub rules shall be added namely :—

"(7) After the expiry of a period of one year from the date on which the vehicle was first registered, every such vehicle shall carry a valid "pollution under control" certificate issued by an agency authorised for this purpose by the State Government. The validity of this certificate shall be for six months, and the certificate shall always be carried in the vehicle and produced on demand.

(8) The certificate issued under sub-rule (7) shall while remains effective be valid throughout India."

37. For rule 116 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) of rule 115 any officer not below the rank of sub-inspector of police or the inspector of motor vehicles who has reason to believe that a motor vehicle is not complying with the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (7) of rule 115 may in writing direct a driver or any person incharge of the vehicle to submit the vehicle for conducting a test to measure the standards of emission in anyone of the authorised testing stations, and produce the certificate to an authority at the address mentioned in the written direction within 7 days from the date of conducting the check.

(2) The driver or any person incharge of the vehicle shall upon such direction by any officer referred to in sub-rule (1) submit the vehicle for testing for compliance of provisions of sub-rule (2) of rule 115, at such authorised testing stations as may be nominated by the officer.

(3) The measurement for compliance of the provisions of sub-rule (2) of rule 115 shall be done with meter of the type approved by any agency referred to in rule 126 of the principal rules.

(4) If the certificate referred to in sub-rule (1) is not produced within the stipulated period of seven days or if the vehicle fails to comply with the provisions of sub-rule (2) of rule 115 within a period of seven days the owner of the vehicle shall be liable for the penalty prescribed under sub-section (2) of section 190 of the Act.

(5) On receipt of the notice referred to in sub-rule (1) the driver or any person incharge of the vehicle shall rectify the defects so as to comply with the provisions of sub-rule (2) of rule 115 within a period of seven days and submit the vehicle to the said testing station for a recheck and produce the certificates so obtained from the testing agency to the authority referred to sub-rule (1).

(6) If the driver or any person incharge of the vehicle refered to in sub rule (1) does not produce the said certificate within the said period of 7 days, such vehicle shall be deemed to contravence the provisions of the sub-rule (2) of rule 115 and the checking officer shall report the matter to the registering authority.

(7) the Registering Authority shall on receipt of the Report referred to in sub-rule (6), for reasons to be recorded in writing suspend the certificate of registration of the vehicle, until such time a certificate is produced before the registering authority to the effect that the vehicle complies with the provisions of sub-rule (2) of rule 115.

(8) On such suspension of the certificate of the registration of the vehicle, any permit granted in respect of the vehicle under Chapter V or under Chapter VI of the Motor Vehicles Act 1988 (59 of 1988) shall be deemed to be subspended until a fresh "pollution under control" certificate is obtained under sub-rule (7) of rule 115."

38. For sub-rule (2) of rule 117 of the principal rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992, every vehicle manufactured shall be fitted with a speedometer that shall conform to the requirements laid down in IS : 11027, specified by the Bureau of Indian Standards."

39. In rule 118 of the principal rules the following sub-rule (3) shall be added; namely :—

"(3) On and from the date of commencement of this sub-rule every goods carriage carrying goods of dangerous or hazardous nature to human life, the vehicle shall be fitted with tachograph (an instrument to record the laps of running time of the motor vehicle; times speeds maintained, acceleration, deceleration, etc.) conforming to the specifications of the BIS."

40. For sub-rule (2) of rule 120 of the principal rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Every motor vehicle shall be constructed and maintained as to conform to noise standards as indicated in the Table below :

TABLE

Noise limits for Automobiles [free field at 7½ metre in dB(A) at the manufacturing stage] to be achieved by 31st December, 1992.

(a) Motorcycle, Scooters & Three wheelers	80
(b) Passenger Cars	82
(c) Passenger or Commercial Vehicles upto 4 MT	85
(d) Passenger or Commercial Vehicles above 4 MT and upto 12 MT	89
(e) Passenger or Commercial Vehicles exceeding 12 MT	91"

41. For rule 122 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"122 (1) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992 the manufacturer of every motor vehicle shall cause the chassis of every motor vehicle other than trailers and semi-trailers to bear the identification number including month and year of manufacture embossed or etched or punched on it, in the following manner; namely :—

(a) in vehicles having longitudinal numbers or rear side of the longitudinal number in a space between the front and rear axles covering an area not exceeding 250 millimetres by 30 millimetres in a row;

(b) in vehicles other than those having longitudinal numbers, on off-side near windscreen underneath the bonnet in the same manner referred to in clause (a);

(c) in the case of motor cycles, on the steering column in a space not exceeding 150 millimetres by 20 millimetres;

(d) in the case of three wheelers below the centre of handle bar or steering wheel on permanent portion of a main structure or chassis frame;

(e) in the case of tractors and other vehicles where chassis frame or permanent structure is not involved, in the manner referred to in clause (a) underneath the driver's seat and clearly visible from the rear side of it without disturbing the driver's seat;

(f) in the case of trailer or semi-trailer having single axle, on the rear side of the longitudinal above the centre of the axle in the manner referred to in clause (a);

(g) in the case of trailer or semi-trailer having more than one axle, above the centre of the front axle in the manner referred to in clause (a).

(2) The vehicle manufacturer shall intimate, by registered post, to the Central Government, in the Ministry of Surface Transport, regarding the place where the numbers shall be embossed or etched or punched in respect of each model and the Central Government shall communicate these details to all the State Governments and Union Territory Administrations. No manufacturer shall change the place of embossing, etching, or punching without prior intimation by Registered post to the Central Government in the Ministry of Surface Transport :

Provided that in no case, the height of the chassis number embossed, erched or punched shall be less than 5 millimetres for motor cycles and three-wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and less than 7 millimetres in the case of all other motor vehicles."

42. In rule 123 of the princial rules, after the words "No motorcycle" the words "which has provision for pillion rider" shall be inserted.

43. For rule 124 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"124. Safety Standards of Governments.—(1) The Central Government may from time to time specify by notification in the Official Gazette the standards of any part, component or assembly to be used in the manufacture of a vehicle and the date from which such parts, components or assemblies are to be used in the manufacture of a vehicle and on such notification every manufacturer shall use only such or these parts, components or assemblies in the manufacture of the vehicle.

(2) Every manufacturer shall certify compliance with the provisions of this rule in Form 22.".

44. For rule 125 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"125. Safety belt, auto-dipper and rear view mirror.—(1) On and from the date notified by the Central Government, the manufacturer of every motor vehicle other than motor cycles and three-wheelers not exceeding 500 cc shall equip every such vehicle with :—

(a) Seat belt for the driver and for the person occupying the front seat ; and

(b) Auto-dipper.

(2) On and from the date notified by the Central Government all motor vehicles shall be equipped with rear view mirror.

(3) For the purposes of sub-rules (1) and (2) the Central Government may notify different dates for different classes or types of vehicles and components.

45. For rule 126 of the principal rules the following rule shall be substituted, namely :—

"126. Prototype of every motor vehicle to be subject to test.—On and from the date of commencement of Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992, every manufacturer of motor vehicles other than trailers and semi-trailers shall submit the prototype of the vehicle to be manufactured by him for test by the Vehicle Research and Development Establishment of the Ministry of Defence of the Government of India or Automotive Research Association of India, Pune, or the Central Machinery Testing and Training Institute, Budni (MP), or Indian Institute of Petroleum, Dehradun, and such other agencies as may be specified by the Central Government for certification by that Establishment as to the compliance of provisions of the Act and these Rules.

46. After rule 126 of the principal rules the following rule shall be inserted, namely :—

"126A. The testing agencies referred to in rule 126 shall in accordance with the procedure laid down by the Central Government also conduct tests on vehicles drawn from the production line of the manufacturer to verify whether these vehicles conform to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or rules and orders made thereunder.

47. In rule 128 of the principal rules :—

(i) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) Passenger entrance and exit.—The passenger entrance-cum-exit door shall be located on the left side of the vehicle and minimum door width shall be 685 millimetres. The door handle should be capable of being handled from inside as also from outside. The door may be operated pneumatically or hydraulically or electrically with suitable locking device."

(ii) In sub-rule (4) the words "hinged at the tope" shall be omitted.

48. In rule 129 of the principal rules the following shall be added, namely :—

"(iv) Every goods carriage carrying any dangerous or hazardous goods shall be equipped with safety equipments for preventing fire, explosion or escape of hazardous or dangerous goods."

49. For rule 131 of the principal rules the following rule shall be substiuted, namely :—

"131. Responsibility of the Consignor for Safe Transport of Dangerous or Hazardous goods.—(1) It shall be the responsibility of the consignor intending to transport any dangerous or hazardous goods to ensure the following, namely :—

(a) the goods carriage has a valid registration to carry the said goods ;

(b) the vehicle is equipped with necessary first-aid, safety equipment and anti-dotes as may be necessary to contain any accident ;

(c) that the transporter or the owner of the goods carriage has full and adequate information about the dangerous or hazardous goods being transported ; and

(d) that the driver of the goods carriage is trained regarding dangers posed during transport of such goods.

(2) Every consignor shall supply to the owner of the goods carriage, full and adequate information about such dangerous or hazardous goods being transported as to enable such owner and its driver to :

(a) comply with the requirements of rules 129 to 137 (both inclusive) ; and

(b) be aware of the risks created by such goods to health or safety of any person ; and

(c) it shall be the duty of the consignor to ensure that the information is accurate and sufficient for the purpose of complying with the provisions of the principal rules, 129 to 137 (both inclusive).

50. For rule 132 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"132. Responsibility of the Transporter or owner of goods carriage.—(1) It shall be the responsibility of the owner of the goods carriage transporting any dangerous or hazardous goods to ensure the following, namely :—

(a) that the goods carriage has a valid registration to carry the said goods and the said carriage is safe for transport of the said goods ;

(b) that vehicle is equipped with necessary first-aid, safety equipment, tool box and anti-dotes as may be necessary to contain an accident.

(2) Every owner of a goods carriage shall, before undertaking the transportation of dangerous or hazardous goods in his goods carriage, satisfy himself that the information given by the consignor is full and accurate in all respects and correspond to the classification of such goods specified in rule 137.

(3) The owner of the goods carriage shall ensure that the driver of such carriage is given all the relevant information in writing as in Annexure V of these rules in relation to the dangerous or hazardous goods entrusted to him for transport and satisfy

himself that such driver has sufficient understanding of the nature of such goods and the nature of the risks involved in the transport of such and is capable of taking appropriate action in case of an emergency.

(4) The owner of the goods carriage carrying dangerous or hazardous goods and the consignor of such goods shall lay down the route for each trip which the driver shall be bound to take unless directed or permitted otherwise by the Police Authorities. They shall also fix a time table for each trip to the destination and back with reference to the prescribed route.

(5) It shall be the duty of the owner to ensure that driver of the goods carriage carrying dangerous or hazardous goods holds a driving licence as per provisions of rule 9 of these rules.

(6) Transitional Provision.—Notwithstanding anything contained in these rules it shall be sufficient compliance of the provisions of rules 131 and 132 if the consignor transporting dangerous or hazardous goods and the owner of the goods carriage or the transporter, abides by these conditions within six months after the date of coming into force of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1992."

51. For rule 133 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"133. Responsibility of the driver.—(1) The driver of a goods carriage transporting dangerous or hazardous goods shall ensure that the information given to him in writing under sub-rule (3) of rule 132 is kept in the driver's cabin and is available at all times while the dangerous or hazardous goods to which it relates, are being transported.

(2) Every driver of a goods carriage transporting any dangerous or hazardous goods shall observe at all times all the directions necessary for preventing fire, explosion or escape of dangerous or hazardous goods carried by him while the goods carriage is in motion and when it is not being driven he shall ensure that the goods carriage is parked in a place which is safe from fire, explosion and any other risk and at all times under the control and supervision of himself or some other competent person above the age of 18 years."

52. (i) After sub-rule (1) of rule 134 of the principal rules, the following sub-rule (2) shall be added as follows :—

"(2) The information contained in sub-rule (1) shall also be displayed on the vehicle by means of a sticker according to the particular dangerous or hazardous goods carried in that particular trip."

(ii) sub-rule (2) of rule 134 of the principal rules shall be renumbered as sub-rule (3).

53. For rule 136 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"136. Driver to report to the Police Station about accident.—The driver of a goods carriage transporting any dangerous or hazardous goods shall, on the occurrence of an accident involving any dangerous or hazardous goods transported by his arriage, report forthwith to the nearest police station and also inform the owner of the goods carriage or the transporter regarding the accident."

54. In Form 1-A after the words "Declaration made by the applicant in Form 1 as to his physical fitness is attached", the following shall be added as a new para :—

"I also certify that I have personally examined the applicant for reaction time, side vision and glare recovery. (Applicable in case of persons applying for a licence to drive goods carriage carrying goods of dangerous or hazardous nature to human life."

55. In form 20 in the principal rules,—

(i) below the heading the following words shall be inserted, namely :—

"(To be made in duplicate if the vehicle is held under an agreement of hire-purchase/hypothecation/lease and duplicate copy with the endorsement of the registering authority to be returned to the financier simultaneously on registration of vehicle)";

(ii) below the space provided for specimen signature of the registered owner, the following shall be added, namely :—

"Specimen signature or thumb impression of the financier

..............................."

(iii) under the brackets and words "(name and address of the financier)" for the words

"By registered post or delivery under proper acknowledgement", occurring at the end, the words "By registered post acknowledgement due", shall be substituted.

56. For Form 22, in the principal rules, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM 22

[See Rule 47(g), 115(6), 124, 126A and 127]

Initial Certificate of compliance with Pollution Standards, Safety Standards of components and Road Worthiness.

(TO BE ISSUED BY THE MANUFACTURER)

Certified that———————

———————————————————

(brand name of the vehicle)

bearing chassis number——————————————

and engine number———————————

complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder :

Signature of Manufacturer

Form 22 should be issued with the signature of the manufacturer duly printed in the Form itself by affixing feasimile signature of the manufacturer.

FORM 22(A)

[See rule 47(g), 124, 126A and 127]

Certificate of compliance with pollution Standards| Safety Standards of components and Road Worthiness (For vehicles where body is fabricated separately).

PART I

(TO BE ISSUED BY THE MANUFACTURER)

Certified that———————————
(brand name of the vehicles)
bearing chassis number———————————
and engine number———————————
complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder :

Signature of Manufacturer

Form 22A should be issued with the signature of the manufacturer duly printed in the Form itself by affixing feasimile signature of the manufacturer.

*PART II

(TO BE ISSUED BY THE BODY BUILDER)

Certified that body of the vehicle———————————bearing (brand name of the vehicle) chassis number———————————and engine number———————————has been fabricated by us and the same complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder.

Signature of Body Builder

*Strike out whichever is not applicable.

Form 22(A) should be issued with the signature of the body builder duly printed in the Form itself by affixing feasimile signature of the body builder.

57. In Form 23 in the principal rules,—

(i) below the entries "Brief description of the vehicle" and above the entry "name of the registered owner", the following entries shall be inserted, namely :—

"Name and address of the dealer from whom the vehicle is purchased."

(ii) below the entries "Full address (Temporary)" and above the entry "Date", the following entries shall be inserted, namely :—

"Specimen signature|thumb impression of the registered owner, pasted and attested by the registering authority";

(iii) in entries at serial number 18, the words "trailer or", shall be omitted.

(iv) in the entries under serial number 22, the words "specimen signature or thumb impression of the registered owner pasted and attested by the registering authority", shall be omitted;

(v) below the space provided for recording the agreement or hire purchase|lease|hypothecation, the following words and note shall be added, namely :—

"Specimen signature|thumb impression of the financier pasted and attested by the registering authority.";

(vi) in the Note appearing at the end of the Form the following may be added, namely :

"(iii) wherever a note of endorsement or cancellation of an agreement of hire purchase| lease|hypothecation is recorded, the specimen signature or thumb impression of the financier shall be pasted and attested by the registering authority."

58. In Form 24, the heading in columns 5 and 6, the following shall be added at the end, namely :—

"Specimen siganture or thumb impression of the financier pasted and attested by the registering authority.".

59. In Form 26, in the principal rules,—

(i) for the words "I|we have reported the loss to the Police Station on————(date)" the following words shall be substituted, namely :—

"I|We hereby declare that I|We on————(date) have filed a complaint (copy enclosed) with the police about the loss of the certificate of registration immediately after the loss has been noticed";

(ii) the words "obtained from the financier is enclosed" appearing in paragraph below the space for signature|thumb impression of the applicant, shall be omitted;

(iii) below the Note, the following shall be added :—

"CONSENT OF THE FINANCIER FOR GRANT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' under section 51(6)

I|We being a party to an agreement of hire purchase| Lease|Hypothecation in respect of motor vehicle specified above.

1. have "No Objection" in issuing the duplicate Certificate of Registration of the said vehicle.

2. have "Objection" in issuing the duplicate Registration Certificate of the said vehicle, for the reasons given hereunder.....

Date..... Signature of the Financier

(iv) under the brackets and words '(Name and address of the financier), for the words 'By registered post or delivery under proper acknowledgement due', occurring at the end, the words 'By registered post acknowledgement due', shall be substituted.

60. In Form 27 of the principal rules;—

(i) in paragraph 7, the words 'I|We enclose' and 'received from financier', shall be deleted.

(ii) in paragraph 8, the words 'from' and 'is not enclosed', shall be deleted.

(iii) below the space provided for 'specimen signature' or 'thumb impression of the applicant', the following shall be added, namely:—

"CONSENT OF THE FINANCIER FOR GRANT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' under section 51(6)".

I|We being a party to an agreement of Hire Purchase|Lease|Hypothecation in respect of Motor vehicle specified above:

(1) Have "No objection" in assigning the new Registration Mark to the said vehicle.

(2) Have "Objection" in in Assigning the new Rgistration Mark to the said vehicle for the reasons given hereunder———————

Date..... Signature of the Financier

(iv) Under the brackets and words "(The Name and address of the Financier), for the words 'By Registered post or delivered under proper acknowledgement' occurring at the end, the words 'By registered post acknowledgement due', shall be substituted.

61. In Form 28 of the principal rules,—

(i) item (14) shall be added, namely :—

"14. Whether the vehicle is held under an agreement of Hire Purchase|Lease|Hypothecation, if so give full name and address of the financier.";

(ii) Below the space provided for 'Signature or thumb impression of the Registered owner of the vehicle'; the following shall be added, namely :—

"PART-II. CONSENT OF THE FINANCIER IN THE CASE OF MOTOR VEHICLE HELD UNDER ANY AGREEMENT'

I|We being a party to an agreement of Hire Purchase|Lease|Hypothecation in respect of the above said vehicle hereby :

1. Give consent to issue the No objection Certificate for the said vehicle only for the purpose referred above.

2. Refuse to give consent to issue the No objection Certificate for the said vehicle due to the reasons furnished hereunder———————

....

....

Date..... ..... Signature of the Financier

(iii) Part II and Part III shall be renumbered as as Part III and Part IV;

(iv) In Part III, for the words 'By registered post or delivered under proper acknowledgement', the words 'By registered post acknowlegdement due' shall be substituted.

(v) Below the words

'To

....(Registered owner)', the words

'Copy to : The Registered Authority.....
The financier.....
shall be added.

62. In Form 33,

(i) between the space provided for 'Signature of thumb impression of the registered owner of the vehicle' and 'Office Endorsement' the following shall be inserted, namely :—

"CONSENT OF THE FINANCIER IN THE CASE OF MOTOR VEHICLE HELD UNDER ANY AGREEMENT"

I|We being a party to an agreement of Hire Purchase|Lease|Hypothecation in respect of the said vehicle hereby .

1. Give consent for effecting the above change of address with the note of an agreement in my|our favour in Form 23 and 24 by the Registering Authority.

2. Refuse to give consent for effecting the above change of address by the registering authority due to the reasons furnished hereunder:

Date..... .....Signaure of the Financier"

(ii) under the brackets and words '(Name and address of the financier)' for the words 'By registered post or delivered under proper acknowledgement' the words 'By registered post acknowledgement due', shall be substituted.

63. In Form 47 in the principal rules, the following shall be added at the end as entry 13, namely:—

"(13) The authorisation for the following State(s) is subject to payment of taxes by the permit holder to the respective State(s).

1.
2.
3.
4.

64. Form 49 in the principal rules shall be omitted.

65. Annexure-I of the principal rules may be substituted as follows :—

[Sub-rule 115(3)]

MASS EMISSION STANDARDS FOR PETROL DRIVEN VEHICLES

1. Type Approval Tests :

Two and Three Wheeler Vehicles

Reference Mass, R(Kg)	CO(g/km)	HC(g/km)
1	2	3
$R \leq 150$	12	8
$150 < R \leq 350$	$12 + \frac{18 (R + 150)}{200}$	$8 + \frac{4(R + 150)}{200}$
$R > 350$	30	12

Light Duty Vehicles :

Reference Mass, rw (Kg)	CO(g/km)	HC(g/km)
1	2	3
$rw \leq 1020$	14.3	2.0
$1020 < rw \leq 1250$	16.5	2.1
$1250 < rw \leq 1470$	18.8	2.1
$1470 < rw \leq 1700$	20.7	2.3
$1700 < rw \leq 1930$	22.9	2.5
$1930 < rw \leq 2150$	24.9	2.7
$rw \leq 2150$	27.1	2.9

2. Conformity of Production Tests :

Two and Three Wheeler Vehicles :

Reference Mass, rw (kg)	CO(g/km)	HC(g/km)
1	2	
$R < 150$	15	10
$150 < R \leq 350$	$15 + \frac{25 (R + 150)}{200}$	$10 + \frac{5(R + 150)}{200}$
$R > 350$	4	15

Light Duty Vehicles :

Reference Mass, rw (kg)	CO(g/km)	HC(g/km)
1	2	3
$rw < 1020$	17.3	2.7
$1020 \leq rw \leq 1250$	19.7	2.7
$1250 \leq rw \leq 1470$	22.5	2.8
$1470 \leq rw \leq 1700$	24.9	3.0
$1700 \leq rw \leq 1930$	27.6	3.3
$1930 \leq rw \leq 2150$	29.9	3.5
$rw \leq 2150$	32.6	3.7

Explanation : Mass emission standards refers to the gm. of pollutants emitted per km. run of the vehicle, as determined by a chassis dynamometer test using the Indian Driving Cycle.

66. In Annexure II to principal rules, for the figures 34—34, appearing in column 3, against item number 15, the figures '37—34', shall be substituted.

67. In Annexure-IV to the principal rules:—

(i) under the heading "Absorption Coefficient", for the words, brackets and figures "K(m-1) (K9-1)", the words, brackets and figures "K(1|m)", shall be respectively substituted.

(ii) under the heading 'Assorption Coefficient' for the figures '1. 31', occuring against the 'Normal flow' for 135, the figures '1.13' shall be substituted.

69. After Annexure IV to the principal rules, the following annexure shall be inserted, namely :—

"ANNEXURE IV—A

[See Rule 115(5)]

TEST CYCLE

The following 13—mode cycle shall be followed in dynamometer operation on the test engine :—

Mode No.	Engine Speed	% Load
1.	Idle	—
2.	Intermediate	10
3.	"	25
4.	"	50
5.	"	75
6.	"	100
7.	Idle	75
8.	Rated	100
9.	"	75
10.	"	50
11.	"	25
12.	"	10
13.	Idle	—"

[F. No. RT-11028/6/91-MVL]

G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992